

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

शिक्षा विभाग

भंगाल, दिनांक 26 अप्रैल 1980

क. एफ. 121-4-73-एच-8-बोस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश, शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा में भरती से संबंधित निम्न लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—ये नियम मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग, तकनीकी शाखा, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) भरती नियम, 1980 कहलायेंगे।

ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" के अधिसूचित किये जाने की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा.—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उस सेवा या पद पर (अनुसूची पांच के खाना (9) में उल्लेखित किये अनुसार) शासन द्वारा नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाय;
- (ख) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है;
- (ग) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;
- (घ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है।
- (ङ) "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों" का वही अर्थ होगा, जो उनके लिये संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में दिया गया है और इसका तात्पर्य ऐसी जातियों और जन जातियों से है, और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाय;
- (च) "सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग, तकनीकी शाखा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा से है;
- (छ) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है;

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा को सामान्य शर्त) नियम, 1961 में दिये गये उपबन्धों की व्याख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक इकाई पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

- (एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों;
- (दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; और
- (तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, सेवा में भरती किये गये हों।

वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इससे संलग्न अनुसूची एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी।

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर अस्थायी या स्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा।

भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

परिक्षा/चयन करके सीधी भरती द्वारा।

अनुसूची चार के खाना 2 में यथा लिखित सेवा के सदस्यों की प्रदानाति द्वारा।

उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो मूल हेतु से ऐसी सेवा में ऐसे पद धारण कर रहे हों, जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खंड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या (अनुसूची एक में यथाचिह्न कर्तव्यपदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) जहाँ पद/पदों को उपनियम 1 (ख) के अधीन तथा उपरोक्त पदोन्मति द्वारा भरा जाना हो किंतु जहाँ निहित अर्हता तथा अनुभव प्रत्येक उपरोक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों वहाँ पद/पदों को उपनियम 1 (क) में दिये गये उपायों के अनुसार सीधी भरती द्वारा भरा जा सकता है।

(4) उपनियम 1 में दी गई किसी बात के होते हुए भी यदि नियुक्ति प्राधिकारों की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सेवा में भरती संबंधी उन तरीकों की छोड़ जिनका उल्लेख उक्त उपनियम में किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकते हैं, जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित किये जायें।

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में सभी नियुक्तियों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में उल्लिखित भरती के किसी एक तरीके से चयन करके ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—चयन किये जाने के लिये पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्—

(1) आयु.—(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने 18 वर्ष की अथवा अन्यथा उल्लिखित (अनुसूची तीन के खाना तीन के अनुसार) आयु पूरी कर ली हो तथा 30 वर्ष की आयु (अनुसूची तीन के खाना चार के अनुसार) पूरी न की हो।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिकतम आयु सीमा में अधिक से अधिक पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) उन उम्मीदवारों को भी जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित सीमा तक तथा नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी।

(एक) ऐसे उम्मीदवार की आयु जो स्थायी या अस्थायी हो, 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(दो) उप खंड (एक) में उल्लिखित रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों या कार्य प्रभारित कर्मचारियों अथवा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्तियों को भी दी जा सकती है।

(तीन) ऐसे उम्मीदवार को, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उस के द्वारा पहले की गई अंशपूर्ण अथवा सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की अवधि, भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:—शब्द "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा उसकी संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई में अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व नियुक्ति इकाई (यूनिट) को विचारियों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कम की जाने के कारण छटनी को गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो।

(चार) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:— भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसको किसी भी सेवा कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व नियुक्ति इकाई (यूनिट) को विचारियों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कम की जाने के कारण छटनी को गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो।

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे द्वारा भरती किया गया हो, और—

(क) नियुक्ति की अन्तकालीन अवधि पूर्ण होने पर,

(ख) भरती की शर्तें पूरी हो जाने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो।

- (2) महात्म विठ्ठल दकार्द (वृत्ति) के भूतपूर्व कर्मचारी.
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा अश्विनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिसमें अल्प सेवा में नियमित कमोशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं).
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अग्रकाल रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक, निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो.
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इकाया आधार पर सेवामुक्त किया गया हो, कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकें.
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो कि असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों.
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो गैरजो लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण, चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिये गये हों.

(पांच) ऐसे व्यक्ति जो 1-1-1963 के बाद से राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैंडिड अग्रेडेशन के रूप में भरती किये गये हों उनकी प्रारंभिक / वार्षिक अग्रगण्य समाप्ति पर रा. छा. से. में नियुक्ति होने पर नियोजन के प्रयोजन के लिये छंटनी किये गये आसकीय कर्मचारी समझे जायेंगे और वे अपनी वास्तविक आयु से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेंगे बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

टिप्पणी:—उपर्युक्त पैरा 8 (एक) (ग) (एक) तथा दो में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों के चयन में विमलित किया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे दें, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाय, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

विभागीय उम्मीदवारों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिये.

(दो) शैक्षणिक अर्हता:—उसके पास अनुसूची तीन में दशम श्रेणी अनुहार, सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव होना चाहिये.

छ. अर्हता:—उम्मीदवार को और से अपनी उम्मीदवारी के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके चयन, परीक्षा, नियुक्ति के लिये अनर्हकारी माना जा सकेगा.

10. उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में प्रश्न का निर्णय अंतिम होगा.—किसी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में चयन ति.नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.

11. चयन द्वारा सीधी भरती.—(1) (क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायगी. इसमें तीन सदस्य होंगे.

(ख) सेवा में भरती के लिये चयन/परीक्षा का आयोजन ऐसी अंतरावधियों पर किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाएं.

(ग) सेवा में उम्मीदवारों का चयन, चयन समिति के द्वारा उनके सम्मानकार के बाद किया जायेगा.

(2) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान उन उम्मीदवारों के लिये रक्षित होंगे, जो क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों.

(3) इस प्रकार रक्षित रिक्तियों को भरते समय अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये उस क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आते हैं चाहे अन्य उम्मीदवार की तुलना में उनकी सापेक्ष स्थिति कुछ भी क्यों न हो.

(4) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, उपनियम (3) के अन्तर्गत यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्ति किया जा सकेगा.

(5) यदि रक्षित रिक्तियों के लिये पात्र उपयुक्त उम्मीदवार भरती के किसी भी अवसर पर उपयुक्त श्रेणियों के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों, तो ऐसी रिक्तियों किफ इन्हें उम्मीदवारों के लिये पुनर्निर्धारित की जावेगी यदि पूर्व विज्ञापन के बाद भी कोई रिक्तियाँ बच रहे, तो उन्हें उच्च अति कारियों की सहमति प्राप्त करने के बाद सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया जायेगा और उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियाँ स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उसके बाद होने वाली भरती के अवसर के लिये रक्षित रखी जायेंगी परन्तु इन जातियों के लिये कुल रक्षित स्थान किसी भी एक अवसर पर रिक्तियों की कुल संख्या के 45 प्रतिशत से अधिक न होंगे.

12. चयन समिति द्वारा तिकारिय किये गये उम्मीदवारों की सूची.—(एक) चयन द्वारा—(एक) चयन समिति उन उम्मीदवारों के नाम तथा अन्य व्यौर, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, सम्पूर्ण रूप से अधिमान क्रम से क्रमबद्ध करके तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों को, जो यद्यपि उक्त मानकों के अनुसार अर्ह नहीं हैं किन्तु जिन्हें समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, नाम तथा अन्य व्यौर नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा.

51

चा  
व्य

हो  
द

(दो) परीक्षा द्वारा—नियुक्ति प्राधिकारी सफल उम्मीदवारों को, जो ऐसे मानकों से अर्ह हुए हैं जिन्हें वह निश्चित करे और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवार जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं, किन्तु जिन्हें उसने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के लिये ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है उनके बारे में अन्य व्योरे के साथ योग्यता-क्रम तैयार करेगा.

(तीन) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अन्वय में, उपलब्ध रिक्तियों पर लिये उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जायगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों.

(चार) सूची में किसी उम्मीदवार का नाम शामिल होने से उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार के योग्य है.

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति—(1) पाठ उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारम्भिक चयन करने के लिये एक विभागीय चयन समिति गठित की जायगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.

(2) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों में होगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक न हों.

(3) ऐसे पदों पर जिसमें पदोन्नति के प्रतिशत 33 1/3 प्रतिशत या इससे अधिक विहित किया गया हो, पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत रिक्तियां उन उम्मीदवारों के लिये रक्षित रखी जायंगी जो अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों और जो नियम 14 में अन्तर्लिखित उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के पात्र हों.

(4) रक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगी.

(5) जहाँ किसी पद/किन्हीं पदों को उपनियम 1 (ख) के अधीन उपबंधित किये अनुसार भरा जाना हो किन्तु विहित अर्हताएँ और अनुभव प्राप्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होतों, ऐसे तो पदों को उपनियम 1 (क) में दिये गये उपबन्धों के अनुसार सीधी भरती करा जाय.

14. पदोन्नति के लिये पात्रता सम्बन्धी शर्तें—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूची 4 के खाना 2 में उल्लिखित पद सेवा (स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप में) जिसके पदोन्नति की जाना हो तथा जो उपनियम 2 के अनुसार विचार के क्षेत्र अन्तर्गत आते हैं अनुसूची चार के खाना 3 में यथोल्लिखित वर्षों की सेवा प कर ली हो.

(2) उपनियम (1) के अधीन चयन का क्षेत्र सामान्यतः यदि पदोन्नति वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जानी हो तो चयन सूची में सम्मिलित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या के 5 गुने तक और यदि पदोन्नति योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो तो चयन सूची में सम्मिलित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या के 7 गुने तक सीमित होगी, परन्तु यदि इस प्रकार निर्धारित क्षेत्र के लिये उपयुक्त व्यक्ति अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो यह क्षेत्र समिति के द्वारा लिखित रूप से कारण का उल्लेख किये जाने पर उसके द्वारा आवश्यक समझी गयी सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा.

(3) पदोन्नति के लिये अनुसूची चार व छ: में उल्लिखित पदों के लिये अनुसूची तीन के अनुसार सीधी भरती के लिये विहित अर्हता तथा अनुभव होना चाहिये.

15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपयुक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझती हो. यह सूची चयन सूची की तैयारी की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा नियुक्ति तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये रक्षित सूची भी तैयार की जायगी, जिसमें उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के 25 प्रतिशत व्यक्ति को बराबर शामिल होंगे.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों के नाम, प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय सेवा में वरिष्ठता क्रम के अनुसार होंगे (अनुसूची 4 के खाना (दो) में दिये अनुसार) परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठता की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण—ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसकी पदोन्नति सूची की वैधता के दौरान न की गई हो, उन व्यक्तियों पर, जिनके संबंध में पश्चात्कालीन चयन में विचार किया गया हो केवल पहले चयन किये जाने सम्बन्धी तथ्य के कारण वरिष्ठता का प्रावधान नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायगा.

प्रकार के चयन, पुनर्वलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान (मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालन और गैर तकनीकी सेवा, तकनीकी सेवा) सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाय तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी।

16. नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिशों सहित विन्मोदित क्रम में चयन नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजी जायेगी:—

- (एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख.
- (दो) सेवा के सभी सदस्यों (अनुसूची चार के खाना 2 में दिये अनुसार) के अभिलेख, जिनका सूची में की गयी सिफारिशों द्वारा अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो.
- (तीन) सेवा के किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण (अनुसूची चार के खाना 2 में दिये अनुसार).

7. चयन सूची.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सम्बद्ध अभिलेखों के साथ उसके द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा तक कि कोई भी परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह तत्संबंधी कारण लेखबद्ध करते हुए सूची के लिये समिति को लौटा देगा.

3) नियुक्ति प्राधिकारी के मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा अन्तिम रूप से तैयार की गई सूची/अनुसूची चार के खाना 2 में दर्शाये से अनुसूची चार के खाना 3 के पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति हेतु चयन सूची होगी.

4) चयन सूची सामान्यतः जब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्वलोकन या पुनरीक्षण न किया जाय किन्तु उसकी वैधता की अवधि, सूची तैयार की जाने की तारीख से कुल मिलाकर 18 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी:—

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की शोर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गम्भीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी और समिति के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्वलोकन किया जा सकेगा और यदि उचित समझा जाय तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा.

18. चयन सूची में सेवा नियुक्ति.—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संबंध पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जावेगी, जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आते हों. परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाय कि रिक्त सम्बन्ध तीन माह से अधिक अवधि के लिये नहीं होंगे, तो प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में न हो या चयन सूची के क्रम में अग्रगण्य न हो सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा.

(2) यदि सेवा की चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के मामले में चयन सूची में उसका नाम शामिल करने की तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिससे उसे सेवा में नियुक्त किया जाना उचित न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा देगा.

19. परिशिक्षा.—सेवा में सीधे भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिशिक्षा पर नियुक्त किया जायगा.

20. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो उसे शासन को निदिष्ट किया जायगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा.

21. छूट.—इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिस पर ये नियम लागू हों, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उनको उचित और न्याय प्रतीत होती हो:—

परन्तु मामले पर 1976 की रीति से कार्यवाही नहीं की जायगी जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के अन्तर्गत चयन सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में निरसित किये जाते हैं:—

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के अन्तर्गत उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायगी.

22. (अ) व्यावृत्ति.—इन नियमों में दी गई किसी बात का राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुगार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. जी. श्रीमराय विशेष सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

(2) कर्तव्यपदों  
(3) उपयुक्त व्य  
(4) करना आ  
तरीकों के  
आदेश द्व

## अनुसूची क्रमांक एक

(नियम 4 देखिये)

मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग तकनीकी शाखा तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय) तकनीकी शिक्षा संचालनालय  
मध्यप्रदेश के अधीन सेवा

अनुक्रमांक	सेवा में शामिल पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमात (पागंडे आयोजन)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर/रायपुर/रीवा/बिलासपुर/उज्जैन

1	चीफ इन्स्ट्रक्टर	1	अलिपिक वर्गीय	₹. 400—720	
2	हियामन्ट्रक्टर	2	"	₹. 280—480	
3	असिस्टेंट वर्कशाप फोरमैन	2	"	₹. 280—480	
4	ड्राफ्ट्समैन	20	"	₹. 280—480	
5	असिस्टेंट मेकिकल आफिसर	1	"	+₹. 25 विशेष वेतन. ₹. 280—480	
6	टेकनीकल असिस्टेंट	75	"	₹. 246—460	
7	वर्कशाप असिस्टेंट	4	"	₹. 246—460	
8	इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट	1	"	₹. 246—460	
9	फोटोग्राफिक असिस्टेंट	1	"	₹. 246—460	
10	इन्स्ट्रुमेंट रिपेयर/मेकैनिक्	10	"	₹. 220—375	
11	वायरलेस ऑपरेटर	1	"	₹. 220—375	
12	ग्लास ब्लोअर	1	"	₹. 220—375	
13	इन्स्ट्रक्टर/वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	103	"	₹. 220—375	
14	चार्जमैन	6	"	₹. 220—375	
15	फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर	6	"	₹. 220—375	
16	असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन	1	"	₹. 205—375	
17	सेनेटरी इन्स्पेक्टर	2	"	₹. 195—330	
18	मशीनशाप इन्स्ट्रक्टर	4	"	₹. 195—330	
19	मेकैनिक् ग्रैड दो	1	"	₹. 195—330	
20	टाईम कीपर	3	"	₹. 169—300	
21	लैबोरेटरी असिस्टेंट	3	"	₹. 169—300	
22	वायलर अटेंडेंट	7	"	₹. 155—252	
23	गैस प्लान्ट ड्रायवर/मेकैनिक्	2	"	₹. 155—252	
24	इंगिन ड्रायवर/अटेंडेंट	8	"	₹. 155—252	
25	रेडियो मेकैनिक्	1	"	₹. 155—252	
26	गैस मेकैनिक्	1	"	₹. 155—252	
27	व्ही. एफ. तथा टेलीफोन मेकैनिक्	1	"	₹. 155—252	
28	स्क्रिबल असिस्टेंट अटेंडेंट	11	"	₹. 155—252	
29	इलेक्ट्रिशियन	12	"	₹. 155—252	
30	ट्रेसर	6	"	₹. 155—252	
31	कम्पाउन्डर	5	"	₹. 155—252	
32	प्लम्बर फिटर	5	"	₹. 155—230	
33	हैड लैबोरेटरी अटेंडेंट	1	"	₹. 155—230	
34	टाईम कीपर	2	"	₹. 155—230	

नहीं होंगे.

-252

शासकीय विविध शिल्प कला मन्दिर (पोलीटेक्निक)

(एक) चयन द्वारा

12. चयन नाम तथा अन्य व्यौर ऐसे उम्मीदवारों के हुए सवा में नियुक्ति

जबलपुर/रायगढ़/नीगांव/भोपाल/वालिबर/जावरा/उज्जैन/खण्डवा/खिरताडोह/दुम

1	ड्राफ्टमन	23	अलिपिक वर्गीय	₹. 280—480	
				+₹. 25 विशेष वेतन.	
2	सर्वे फील्ड असिस्टेंट	2	"	₹. 280—480	
3	जुनियर इन्स्ट्रक्टर	30	"	₹. 246—460	

होत है

पर

डॉ. अ

डॉ. अ

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4 मास्टर इन्स्ट्रक्टर (टेक्सटाईल)	..	3	अलिपिक वर्गीय	र. 246—460	
5 इन्स्ट्रुमेंट रिपेयर	..	11	"	र. 220—375	
6 वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	..	144	"	र. 220—375	
7 डिमास्ट्रेटर	..	23	"	र. 220—375	
8 ड्रॉलर	..	2	"	र. 220—375	
9 फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर	..	11	"	र. 220—375	
10 एनीमल हाउस कीपर	..	1	"	र. 169—300	
11 मोटर मेकेनिक	..	2	"	र. 169—300	
12 इन्स्ट्रक्टर (टेक्सटाईल)	..	7	"	र. 169—300	
13 लेक्चरर/टी अडिस्टेन्ट	..	127	"	र. 169—300	
14 स्क्रिप्ट अडिस्टेन्ट	..	77	"	र. 155—252	
15 बायलर अटेंडेन्ट	..	11	"	र. 155—252	
16 इंजन अटेंडेन्ट	..	11	"	र. 155—252	
17 इलेक्ट्रिशियन	..	15	"	र. 155—252	
18 प्लम्बर गैस मेकेनिक	..	1	"	र. 155—252	
19 मेकेनिक	..	2	"	र. 155—252	
20 फोटो ग्राफर	..	1	"	र. 350—550	
21 स्टूडियो सहायक	..	1	"	र. 246—460	

शासकीय कला निकेतन जबलपुर

1 अडिस्टेन्ट लेक्चरर (ह्यूमैनिटीज)	..	1	अलिपिक वर्गीय	र. 350—600
2 लेक्चरर (गैर तकनीकी)	..	10	"	र. 350—600
3 अडिस्टेन्ट वर्कशाप फोरमैन	..	1	"	र. 280—480
4 जूनियर इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग)	..	7	"	र. 246—460
5 जूनियर इन्स्ट्रक्टर	..	12	"	र. 246—460
6 फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर	..	1	"	र. 220—375
7 इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग)	..	3	"	र. 220—375
8 सर्व इन्स्ट्रुमेंट रिपेयर	..	1	"	र. 220—375
9 प्रिंटिंग मशीन मेकेनिक	..	1	"	र. 220—375
10 मेकेनिक इन्स्ट्रक्टर	..	5	"	र. 195—330
11 स्क्रिप्ट अडिस्टेन्ट	..	26	"	र. 155—252

(अ) वर्कशाप अटेंडेन्ट (एक बायलर 13) अटेंडेन्ट सहित)  
 (ब) जूनियर इन्स्ट्रक्टर .. 7  
 (स) इन्स्ट्रक्टर (स्मिथी तथा फाउण्ड्री) 2  
 (द) स्क्रिप्ट अटेंडेन्ट .. 4

12 बुक बाइन्डर	..	1	अलिपिक वर्गीय	र. 155—252
13 कम्पोजीटर	..	1	"	र. 155—252

शासकीय महिला विविध शिल्प कला मंदिर, भोपाल

1 जूनियर इन्स्ट्रक्टर	..	6	अलिपिक वर्गीय	र. 246—460
2 मेकेनिक (सीविंग मशीन)	..	1	"	र. 220—375
3 मेकेनिक (टाईप राइटर)	..	1	"	र. 220—375
4 मेटल	..	1	"	र. 169—300
5 स्क्रिप्ट अडिस्टेन्ट	..	6	"	र. 155—252

शासकीय हायर सेकेंड्री टेक्नीकल स्कूल

1 लेक्चरर (गैर तकनीकी)	..	78	अलिपिक वर्गीय	र. 350—600
2 मास्टर इन्स्ट्रक्टर	..	28	"	र. 280—480
3 फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर	..	14	"	(1) र. 280—480 फिजिकल एज्युकेशन में डिग्री के लिये. (2) र. 220—375 फिजिकल एज्युकेशन में डिप्लोमा के लिये. (3) र. 195—330 सर्टीफिकेट होल्डर के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अलिपिक वर्गीय	
4	वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	..	84	"	₹. 205—375
5	रिक्लड असिस्टेंट	..	125	"	₹. 155—252

## शासकीय पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र

1	कॉरियर मास्टर	..	6	अलिपिक वर्गीय	₹. 350—600
2	जनरल एजुकेशन टीचर	..	12	"	₹. 246—460
3	क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर	..	24	"	₹. 205—375

प्रत्येक संस्था में एक रिक्लड क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर को ₹. 30 प्रति माह विशेष वेतन दिया जायेगा.

## अनुसूची क्रमांक दो

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			अभ्युक्ति
			सीवी भरती द्वारा चयन करके (नियम 6 (क) देखिये)	सेवा के मूल अत्याई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) देखिये	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिये.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	चयन क्रम सूची (अभि. अ. सूची के

## शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय जबलपुर रायपुरारीवांबलासुराउज्जैन

शिक्षा विभाग तकनीकी शाखा

मध्य प्रदेश शिक्षा तृतीय श्रेणी (तकनीकी तथा गैर तकनीकी सेवा)

		प्रतिशत	प्रतिशत	
1	चीफ इन्स्ट्रक्टर	1	..	100
2	डिप्टी इन्स्ट्रक्टर	2	100	..
3	असिस्टेंट वर्कशाप फोरमेन	2	..	100
4	ड्राफ्ट्समैन	20	95	5
5	असिस्टेंट मेडीकल ऑफिसर	1	..	100 प्रतिशत लोक स्वास्थ्य विभाग से स्थानान्तरण द्वारा.
6	टेकनीकल असिस्टेंट	75	25	75
7	वर्कशाप असिस्टेंट	4	100	..
8	इलेक्ट्रीकल असिस्टेंट	1	100	..
9	फोटोग्राफिक असिस्टेंट	1	100	..
10	इन्स्ट्रुमेंट रिपेयर मेकैनिक	10	100	..
11	वायरलेस ऑपरेटर	1	100	..
12	ग्लास ब्लोवर	1	100	..
13	इन्स्ट्रक्टर/वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	103	75	25
14	चार्जमैन	6	100	..
15	फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर	6	100	..
16	असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन	1	..	100
17	सेनेटरी इन्स्पेक्टर	2	100	..
18	मशीनशाप इन्स्ट्रक्टर	4	100	..
19	मेकैनिक ग्रेड दो	1	100	..

₹. 280—480  
₹. 25—चयन वेतन.  
₹. 280—480  
₹. 246—460



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	टाईमकीपर (169-300)	3	75	25		
21	लेबोरेटरी असिस्टेंट	3	100			
22	वायलर अटेंडेंट	7	100			
23	गैस प्लांट ड्राईवर/मकेनिक	2	100			
24	इंजन ड्राइवर (अटेंडेंट)	8	100			
25	रेडियो मकेनिक	1	100			
26	गैस मकेनिक	1	100			
27	स्त्री. एफ. एण्ड टेलीफोन मकेनिक	1	100			
28	स्क्रिबल असिस्टेंट अटेंडेंट	11	100			
29	इलेक्ट्रीशियन	12	100			
30	ट्रेसर	6	100			
31	कम्पाउण्डर	5				
32	प्लम्बर फिटर	5	100			
33	हेड लेब अटेंडेंट	1	100			
34	टाईम कीपर (155-252)	2	100			

भाग के लिये लोक स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया जावेगा.

शासकीय विविध शिल्प कला मंदिर, जबलपुर/रायगढ़/नौगांव/भोपाल/ग्वासियर/जावरा/उज्जैन/शहडोल/खिरसाओढ़/दुमै/खंडवा

1.	ड्राफ्ट्समैन	23	100		
2.	स	2	100		
3.	असिस्टेंट मेडिकल कल अरि (टेक्स)	30 (प्रत्येक विविध शिल्प कला मंदिर में एक पद)			(शेष पदो-न्नति द्वारा)
15	र	3		100	
16	र	11	100		
17	र	144	50	50	
		23	100		
		2	100		
		11	100		
	टाइस कीपर	1	100		
	मकेनिक	2	100		
	र (टेक्स टाइल)	7	100		
	टरी असिस्टेंट	127	100		
	असिस्टेंट	77	100		
	र अटेंडेंट	11	100		
	अटेंडेंट	11	100		
	लेक्ट्रीशियन	15	100		
	प्लम्बर गैस मकेनिक	1	100		
	मकेनिक	2	100		
	फोटो ग्राफर	1	100		
	स्टूडियो सहायक	1	100		

शासकीय कला-निकेतन, जबलपुर

1.	असिस्टेंट लेक्चरर	1	100		
2.	लेक्चरर (गैर तकनीकी)	10	90	10	
3.	असिस्टेंट बकशाप फोरमन	1	100		

(व्याख्याता (लेक्चरर) (ह्यूमेनिटीज) लेक्चरर (गैर तकनीकी) के रूप में पद निर्मित किया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	जूनियर इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग)		प्रतिशत	प्रतिशत	
5	जूनियर इन्स्ट्रक्टर	7	33	67	
8	फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर	12	25	75	
7	इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग)	1	100		
8	सर्व इन्स्ट्रुमेंट रिपेयरर	3	..	100	
9	प्रिंटिंग मशीन मेकेनिक	1	100		
10	मेकेनिकल इन्स्ट्रक्टर	1	100		
11	स्किल्ड असिस्टेन्ट	5	..	..	
12	बुक बाइण्डर	26	100	100	
13	कम्पोजीटर	1	100		
		1	100		

## शासकीय महिला विविध शिल्प कला मंदिर

1	जूनियर इन्स्ट्रक्टर				
2	मेकेनिक (सीविंग मशीन)	6	50	50	
3	मेकेनिक टाइपराइटर	1	100	..	..
4	मैट्रिन	1	100	..	..
5	स्किल्ड असिस्टेन्ट	1	100	..	..
		6	100	..	..

## शासकीय उच्चतर माध्यमिक तकनीकी शास्त्र

1	सेक्टर (नान टेक्निकल)				
2	मास्टर इन्स्ट्रक्टर	78	90	10	
3	फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर	28	..	100	
4	बकसाप इन्स्ट्रक्टर	14	100	..	..
5	स्किल्ड असिस्टेन्ट	84	50	50	
		125	100	..	..

## शासकीय पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र

1	करियर मास्टर	6	100	..	..
2	जनरल एजुकेशन टीचर	12	100	..	..
3	क्वाप्ट इन्स्ट्रक्टर	24	100	..	..

## अनुसूची क्रमांक तीन

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	सीधो भरती के लिये न्यूनतम आय सीमा	सीधी भरती के लिये अधिकतम आय सीमा	वैशेषिक अहंता	अभ्युक्ति
------------	--------------	-------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------	-----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## शासकीय अभियांत्रिकी महा विद्यालय

	तकनीकी शिक्षा विभाग कार्यपालन कक्षा (एन.टी.ए. शाखा)	डिपार्ट्मेंट (दूर संचार) (टेलीकम्युनिकेशन)	18	30	इलेक्ट्रॉनिक/दूर संचार (टेलीकम्युनिकेशन) रेडियो इंजीनियरी में किसी मान्यता प्राप्त मंडल (बोर्ड) से कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि समकक्ष या पत्रोपाधि तथा 3 वर्ष का अनुभव 100	
--	---	--	----	----	--	--

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

असिस्टेंट चर्कशाप फोरमेन

जबलपुर के लिये. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से मैकेनिकल इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि तथा 3 वर्ष का अनुभव अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा 7 वर्ष का अनुभव.

रायपुर के लिये. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से धातु विज्ञान, धातु विज्ञान इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि तथा 3 वर्ष का अनुभव अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा 7 वर्ष का अनुभव.

ड्राफ्ट्समेन

18

30 मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल से संविद्य, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि तथा 3 वर्ष का अनुभव या हायस्कूल/हायर सेकंडरी के पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नवमानवोत्ती (ड्राफ्ट्समेन शिप) में सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा 5 वर्ष का अनुभव.

असिस्टेंट मेडिकल आफिसर

18

लोक स्वास्थ्य विभाग में विहित किये अनुसार.

कनिष्ठ असिस्टेंट

18

30 (अ) टेक्नीकल—किसी मान्यता प्राप्त मंडल से इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से उचित व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा 5 वर्ष का अनुभव.

इन्स्ट्रुमेंट रिपेयरर

18

30 (ब) विज्ञान—कम से कम विज्ञान स्नातक की उपाधि जिसमें रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र अथवा भू-विज्ञान एक विषय हो.

वायरलेस आपरेटर

18

30 विद्युत् उपकरण (इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट) तथा उपकरण की मरम्मत तथा संभल सूरक्षता (प्रिसिडन) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा इस व्यवसाय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव.

चर्कशाप असिस्टेंट

18

30 10वीं कक्षा / हाई स्कूल पास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से वायरलेस (संचालन आपरेशन) में सक्षमता प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र और 3 वर्ष का अनुभव और कोड एवं उसके संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है.

30 किसी मान्यता प्राप्त मंडल से इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का उचित व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा 5 वर्ष का अनुभव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9		इलेक्ट्रिकल असिस्टेन्ट	18	30	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में पत्रोपाधि अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन लाइन्मेन व्यवसाय ट्रेड में सक्षमता प्रमाण-पत्र एवं साथ ही 3 वर्ष का संबंधित व्यवसाय में अनुभव.
10		फोटोग्राफिक असिस्टेन्ट	18	30	10 वीं कक्षा/हाई स्कूल तथा किसी प्रसिद्ध फोटो स्टूडियो में फोटोग्राफी में 5 वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्था मंडल से फोटोग्राफिक में सक्षमता प्रमाण-पत्र को वरीयता दी जायेगी.
11		इंस्ट्रक्टर वर्कशाप इंस्ट्रक्टर	18	30	उपयुक्त व्यवसाय (ट्रेड) में तकनीकी शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा 1973 तक प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला प्रमाण-पत्र साथ में 3 वर्ष का संबंधित व्यवसाय का अनुभव अथवा 10 वीं कक्षा/हाई स्कूल पास साथ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित व्यवसाय में सक्षमता प्रमाण-पत्र और साथ ही 3 वर्ष का संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में अनुभव.
12		ग्लास ब्लोवर	18	30	10 वीं कक्षा पास हाई स्कूल तथा कम तापक्रम (पर ग्लास ब्लोइंग/ग्लास सीलिंग में 3 वर्ष का अनुभव या संबंधित शाखा में 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.
13		नार्जमेन (कर्मशाला)	18	30	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा 1973 तक प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला प्रमाण-पत्र उपयुक्त व्यवसाय (ट्रेड) में साथ में 3 वर्ष का ट्रेड में अनुभव या 10 वीं कक्षा/हाई स्कूल पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में 3 वर्ष का अनुभव.
14		फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	20	30	शारीरिक शिक्षा में उपाधि एक वर्ष के अनुभव सहित या शारीरिक शिक्षा में पत्रोपाधि 3 वर्ष के अनुभव सहित.
15		असिस्टेन्ट ड्राफ्ट्समेन	..	..	10 वीं कक्षा/हाई स्कूल पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से नक्शा नवीसी (ड्राफ्ट्समेन शिप) में सक्षमता या उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र.
16		सेनीटरी इंस्पेक्टर	..	..	लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीन विहित किए अनुसार.
17		मशीनशाप इंस्ट्रक्टर	18	30	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा 1973 तक प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला (जे. टी. एस. एल. टी. एस.) प्रमाण-पत्र उपयुक्त व्यवसाय में या 10 वीं कक्षा/हाई स्कूल उत्तीर्ण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उपयुक्त ट्रेड में सक्षमता प्रमाण-पत्र 3 के अनुभव सहित.

(वित्त  
मन्त्र  
व द्वा

व  
अ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18		मैकेनिक ग्रेड दी	..	..	..	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा 1973 तक प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला (जे.टी.एस./एस.टी.एस.) प्रमाण-पत्र उपयुक्त व्यवसाय (ट्रेड) में या 10 वीं कक्षा/हाई स्कूल पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का उपयुक्त व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण-पत्र व 3 साल के अनुभव सहित.
19		टाईम कीपर ..	..	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला (हायर सेकेंडरी स्कूल) प्रमाण-पत्र.
20		लेबोरेटरी असिस्टेंट ..	..	18	30	विज्ञान विषयों सहित हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र.
21		वायलर अटेंडेन्ट ..	..	18	30	कम से कम द्वितीय श्रेणी का वायलर अटेंडेन्ट प्रमाण-पत्र. जिन उम्मीदवारों के पास हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी प्रमाण-पत्र होगा उनको अधिमान दिया जायगा.
22		गैस प्लान्ट ड्रायवर/मैकेनिक	18	30	कम से कम हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित ड्रायविंग आपरेशन तथा आई.सी. इंजन, गैस प्लान्ट आदि के रख-रखाव में 3 वर्ष का अनुभव या संवर्धित शाखा में 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.	
16	अग्नि	इंजन ड्रायवर/अटेंडेन्ट ..	..	18	30	कम से कम हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र तथा व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित आई.सी. इंजनों का संचालन और अनुरक्षण का 3 वर्ष का अनुभव या संवर्धित शाखा में 10 वर्ष का अनुभव.
17	से	रेडियो मैकेनिक ..	..	18	30	कम से कम हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र तथा व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित रेडियो मरम्मत (रिपैरिंग) सर्किटिंग में 3 वर्ष का अनुभव.
		गैस मैकेनिक ..	..	18	30	कम से कम हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित कैरोसिन आइल गैस और गैस प्लान्ट के अनुरक्षण का 3 वर्ष का अनुभव. गैस पाइप लाइन तथा प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) में पानी बनाए रखने में योग्यता होनी चाहिये या संवर्धित शाखा में 10 वर्ष का अनुभव.
26		बी. एच. एफ. एंड टैलीफोन मैकेनिक.	18	30	कम से कम हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र तथा व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
27		रिकॉर्ड असिस्टेंट/ग्रटेन्डेन्ट	15	30	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल द्वारा 1973 तक प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला (जे.टी.एस./एस.टी.एस.) प्रमाण-पत्र अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का उपयुक्त व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण-पत्र (व्यवसाय ट्रेड) में अनुभवी व्यक्ति को अधिमान दिया जायगा.	
28		इलेक्ट्रिशियन	18	30	10वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण पत्र सहित 2 वर्ष का अनुभव अथवा समकक्ष अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। हाई स्कूल तथा मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल के लाइसेंसिंग बोर्ड बायर मेन के लायसेंस सहित.	
29		कम्पाउन्डर	..	..	लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीन विहित किए अनुसार.	
30		ट्रेसर	18	30	10वीं कक्षा पास/हाई स्कूल नक्शा नवीसी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र या उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र.	
31		टाईमकीपर	..	18	30	हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र.
32		प्लम्बर/फिटर	..	18	30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा व्यवसाय (ट्रेड) में एक वर्ष का अनुभव.
33		हेड लेब. ग्रटेन्डेन्ट	..	18	30	हाई स्कूल प्रमाण-पत्र विज्ञान विषय सहित.
		शासकीय विविध शिल्प कला मंदिर				
1		ड्राफ्ट्समन	..	18	30	कम से कम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल की सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि अथवा उसके समकक्ष पत्रोपाधि 3 वर्ष के अनुभव सहित अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से नक्शा नवीसी (ड्राफ्ट्समनशिप) में सक्षमता प्रमाण-पत्र हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष का अनुभव.
2		सर्व फील्ड असिस्टेंट	..	18	30	कम से कम द्वितीय श्रेणी में सिविल/इंजीनियरी अथवा माईनिंग एंड भाइन सर्वेइंग की पत्रोपाधि 2 वर्ष के अनुभव सहित (माइन सर्वेइंग) में अनुभवी व्यक्ति को अधिमान दिया जायगा.
3		जूनियर इंस्ट्रक्टर	..	18	30	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल की उपयुक्त इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या उसके समकक्ष अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	मास्टर इंस्ट्रक्टर (टेक्सटाईल)	..	..	..	..	किसी मान्यता प्राप्त मंडल की टेक्सटाईल टेक्नालाजी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष/हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल तथा स्पिनग/वोविग/ड्राइंग आदि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित 3 वर्ष का अनुभव.
5	इन्स्ट्रुमेंट रिपेयर	..	18	30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के मरम्मत और सुधार सक्षमता के इलेक्ट्रॉनिक औजार उपकरण की सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित 3 वर्ष का अनुभव.	1977-2040/-
6	वर्कशॉप इन्स्ट्रक्टर	..	18	30	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा 1973 तक का उपयुक्त व्यवसाय में प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला जे. टी. एस./एस. टी. एस. प्रमाण-पत्र सहित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव अथवा 10 वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित 3 वर्ष का व्यवसाय (ट्रेड) में अनुभव.	-d-
7	डिमान्स्ट्रेटर	..	..	18	30	तकनीकी (टेकनीकल) खनिक में (मार्शनिंग) इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि अनुभवों उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायगा.
15						विज्ञान.—भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र अथवा भूविज्ञान सहित कम से कम विज्ञान में स्नातक उपाधि.
16	अ					
17	स					
	डिप्लोमा कानक	..	..	18	30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का प्रमाण-पत्र तथा वांछनीय व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चाहे गये (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित व्यवसाय (ट्रेड) में 1 वर्ष का अनुभव अथवा संबंधित शाखा में 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.
	फोटोग्राफर	..	..	18	30	फाईन आर्ट्स में मान्यता प्राप्त मंडल से पत्रोपाधि या समकक्ष, साथ में 3 वर्ष का फोटोग्राफी का व्यवहारिक अनुभव वांछनीय :—आउट-डोर एवं इन-डोर फोटोग्राफी का अनुभव.
	स्टूडियो सहायक	..	..	18	30	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कम से कम 3 वर्ष का आर्टिस्टिक्चर में डिप्लोमा या उसके समकक्ष अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से निविल ड्रापसमेंट या सक्षमता प्रमाण-पत्र साथ में संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.
						शासकीय कला निकेतन, जबलपुर
1	असिस्टेंट लेक्चरर (ह्यूमेनिटीज)	..	..	20	30	संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि.
2	लेक्चरर (गैर तकनीकी)	..	..	20	30	संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.

एच. जी. श्रीभाराय, ज्येष्ठ सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	बायलर अटैन्डेन्ट	..	18	30	(ट्रेड) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण पत्र/अनुभवी व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा.
16	इंजन अटैन्डेन्ट	..	18	30	कम से कम द्वितीय श्रेणी का बायलर अटैन्डेन्ट प्रमाण पत्र हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र धारी को अधिमान दिया जाएगा.
17	इलेक्ट्रिशियन	..	18	30	कम से कम हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र तथा व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित आई. सी. इंजन के संचालन तथा मरम्मत का 3 वर्ष का अनुभव अथवा संबंधित शाखा में 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.
18	प्लम्बर/गैस मैकेनिक	..	18	30	10 वीं कक्षा पास/हाई स्कूल, व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित 2 वर्ष का अनुभव अथवा 10वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा मध्य-प्रदेश विद्युत मण्डल के सामर्सोसिंग बोर्ड का वायरमैन लायसेंस.
8	कनिष्ठ इंजीनियर	..	18	30	कम से कम हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित कैरो-सीन आईल तैयार करने और गैस के अनुरक्षण का 3 वर्ष का अनुभव पाईप लाईन तथा लेबोरेटरी में पानी बनाए रखने में योग्यता होनी चाहिये अथवा संबंधित शाखा में अनुभव.
9	फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	..	20	30	नलकूप संचालन एवं 10वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि 1 वर्ष के अनुभव सहित अथवा शारीरिक शिक्षा में पदोपाधि, 3 वर्ष के अनुभव सहित.
10	एनीमल हाउस कीपर	..	18	30	हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र, जीव विज्ञान सहित.
11	मोटर मैकेनिक	..	18	30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का आई. सी. इंजन/आटो मैकेनिक ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र 1 वर्ष के अनुभव सहित अथवा संबंधित शाखा में 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.
12	इन्स्ट्रक्टर (टेक्सटाईल)	..	18	30	हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित 1 वर्ष का अनुभव या उसके समकक्ष.
13	लेबोरेटरी असिस्टेन्ट	..	18	30	हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र विज्ञान विषय सहित.
14	स्किल्ड असिस्टेन्ट	..	18	30	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा 1973 तक का कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला (जे. टी. एस.एस. टी. एस.) प्रमाण पत्र अथवा संबंधित व्यवसाय



(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	असिस्टेंट वर्कशाप फोरमेन	18	30	कम से कम मान्य मंडल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में द्वितीय श्रेणी में पदोपाधि अथवा समकक्ष 1 वर्ष के अनुभव सहित.
4	जूनियर इंस्ट्रक्टर (प्रिंटिंग टेक्नालाजी)	18	30	(अ) प्रिंटिंग:—किसी मान्यता प्राप्त मंडल की प्रिंटिंग टेक्नालाजी लेटर प्रेस प्रिंटिंग लिथोग्राफी में विशेषीकरण सहित कम से कम द्वितीय श्रेणी में पदोपाधि अथवा समकक्ष तथा किसी प्रसिद्ध प्रेस का एक वर्ष के टीचिंग/व्यवहारिक अनुभव अथवा व्यवसाय ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र 3 वर्ष के अनुभव सहित.  (ब) प्लेनेटा मशीन.—10 वीं कक्षा पास/हाई स्कूल आफसेट/लिथोग्राफी मशीन के संचालन के 5 वर्ष के अनुभव सहित.
5	जूनियर इंस्ट्रक्टर सिविल/ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग.	18	30	उपयुक्त इंजीनियरी शाखा में मान्यता प्राप्त मंडल की कम से कम द्वितीय श्रेणी पदोपाधि अथवा उसके समकक्ष अथवा हाई स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में प्रमाण-पत्र सहित 3 वर्ष का अनुभव.
6	फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	20	30	आरीरिक शिक्षा में उपाधि 1 वर्ष के अनुभव सहित अथवा आरीरिक शिक्षा में पदोपाधि 3 वर्ष के अनुभव सहित.
	इंस्ट्रक्टर (प्रिंटिंग)	18	30	10 वीं कक्षा पास/ हाई स्कूल तथा व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित अथवा 3 वर्ष के अनुभव सहित.
1	सर्वे इंस्ट्रक्टर रिपेयरर	18	30	आरीरिक प्रशिक्षण संस्था का प्रमाण-पत्र और उपकरण में मरम्मत (रिपेयरिंग) और सर्विसिंग क्षमता का (प्रेसीसन) सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा व्यवसाय में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित.
	प्रिंटिंग मशीन मैकेनिक	18	30	10 वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित अथवा उसके समकक्ष अथवा संबंधित शाखा में 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.
	मैकेनिक इंस्ट्रक्टर	18	30	10 वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा संबंधित व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष.
	स्किल्ड असिस्टेंट/ स्किल्ड मैकेनिक.	18	30	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल 1973 तक का कनिष्ठ तकनीकी शाला माध्यमिक तकनीकी शाला (जे. टी. एस./एस. टी. एस.) प्रमाण-पत्र अथवा संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से सक्षमता प्रमाण-पत्र अनुभवी व्यक्ति को अधिमान दिया जायगा.

राज्यपाल के नाम से तथा जयशानुवार,  
एच. जी. श्रीमराय विवेक सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12		वायलर अटैन्डेन्ट	18	30	कम से कम द्वितीय श्रेणी वायलर अटैन्डेन्ट प्रमाण-पत्र हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्रधारी को अधिमान दिया जायेगा.
13		बुकबाइन्डर	18	30	10 वीं कक्षा पास/ हाई स्कूल अथवा समकक्ष 3 वर्ष के बुक बाइन्डर के अनुभव सहित.
14		कम्पोजीटर	18	30	10 वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के कम्पोजीशन ट्रेड में सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित अथवा उसके समकक्ष व्यवसाय में 1 वर्ष के अनुभव सहित.

## शासकीय महिला विविध शिल्प कला मंदिर, भोपाल

1		1 जूनियर इन्स्ट्रक्टर— कस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मैकिंग.	20	30	गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि कस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मैकिंग सहित अथवा मान्य मंडल की ड्रेस मैकिंग में पत्रोपाधि. आर्टिक्चरल ड्राफ्टमैनशिप में पत्रोपाधि अथवा मान्य मंडल की आर्टिक्चर में पत्रोपाधि अथवा उसके समकक्ष. मान्य मंडल की मेडीकल लेव. टेक्नालाजी में पत्रोपाधि अथवा उसके समकक्ष. मान्य मंडल की सक्टेरियल प्रेक्टिस एंड स्टेनोग्राफी. भाषी में पत्रोपाधि अथवा उसके समकक्ष 2 वर्ष के अनुभव सहित.
2		2 आर्टिक्चरल ड्राफ्ट्स- मैनशिप.			
3		3 मेडिकल लेव. टेक्नालाजी			
4		4 सक्टेरियल प्रेक्टिस एंड स्टेनोग्राफी.			
5		5 मैकेनिक (सीविंग मशीन)	18	30	व्यवसाय (ट्रेड) में औद्योगिक संस्था का सक्षमता प्रमाणपत्र में पत्रोपाधि अथवा मान्य मंडल की सीविंग मशीन की संस्था में 3 साल के अनुभव सहित अथवा संबंधित शाखा में 10 साल का व्यवहारिक अनुभव.
3		3 मैकेनिक (टाइप राइटर)	18	30	फिटर व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा टाइप राइटर की मरम्मत के 5 वर्ष के अनुभव सहित या संबंधित शाखा में 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.
4		4 मैट्रन	18	30	10 वीं कक्षा पास/ हाई स्कूल अनुभव सहित.
5		5 स्कार्द असिस्टेन्ट	18	30	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा 1973 तक प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/ माध्यमिक तकनीकी शाला (जे.टी.एस./एस.टी.एस.) प्रमाण-पत्र अथवा संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र. अनुभव के लिये अधिमान दिया जायेगा.

## शासकीय उच्चतर माध्यमिक तकनीकी शाला मध्यप्रदेश

1		लेक्चरर (गैर-तकनीकी)	20	30	संबंधित विषय में कम से कम स्नातकोत्तर उपाधि.
2		मास्टर इन्स्ट्रक्टर			इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरी में द्वितीय श्रेणी की उपाधि 3 वर्ष के अनुभव सहित. अथवा

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

10 वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का किसी भी इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल ट्रेड में सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित अथवा मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा 1973 तक संबंधित व्यवसाय में प्रदत्त प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष 5 साल के अनुभव सहित.

फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर—

- (1) रु. 280—480 20
- (2) रु. 220—375 18
- (3) रु. 195—330 18

वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर .. 18

- 30 शारीरिक शिक्षा में उपाधि 1 वर्ष के अनुभव सहित.
- 30 शारीरिक शिक्षा में पदोपाधि 3 वर्ष के अनुभव सहित.
- 30 अन्य के लिये.

30 मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा सन् 1973 तक उपयुक्त व्यवसाय में कनिष्ठ तकनीकी शाला/ माध्यमिक तकनीकी शाला (जे. टी. एस./एस. टी. एस.) प्रमाण-पत्र सहित 3 साल का व्यवसाय में अनुभव अथवा 10 वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का संबंधित व्यवसाय में सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित 3 वर्ष का व्यवसाय (ट्रेड) में अनुभव.

स्किल्ड असिस्टेंट .. 18

30 मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल 1973 तक प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/ माध्यमिक तकनीकी शाला (जे. टी. एस./एस. टी. एस.) का प्रमाण-पत्र अथवा 10 वीं कक्षा पास/हाई स्कूल तथा संबंधित व्यवसाय का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जायेगा.

पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

कैरियर मास्टर .. 20

30 शिक्षा में स्नातक उपाधि या कला में मनोविज्ञान एक विषय सहित उपाधि अथवा कृषि में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष तथा अध्यापन कार्य के 3 साल के अनुभव और हिन्दी भाषा पर अधिकार/ विज्ञान स्नातक (कृषि उपाधि) को अधिमान दिया जायेगा.

जनरल एजुकेशन टीचर 20

30 बी. ए./बी. एस. सी. सहित/बी. टी. बी. एड. अध्यापन अनुभव को अधिमान.

क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर .. 18

30 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संबंधित व्यवसाय में सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित 3 साल का अनुभव तथा हिन्दी में पढ़ाने की क्षमता.

- 15 पी. टी
- 16 असिस्ट
- 17 सेनेट

(2)

(1)

राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. जी. श्रीनाराय विश्व सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

अनुसूची क्रमांक चार  
(नियम 13 देखिये)

यथा अन्य  
मीदवारों  
में नियुक्त  
स्थिति  
अनुसूची  
में क  
स्थिति  
सूचित  
की जा  
वे

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिस पदोन्नति की जाना हो	चयनमान	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हो	वर्तमान नाम (नियम 13 देखिये)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)	पदोन्नति के लिये न्यूनतम अनुभव यदि कोई हो (7)	अभ्युक्ति (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तकनीकी शाखा (कार्य पालन अध्यापन)	1. असिस्टेंट वर्कशाप फोरसेन	6-280-480	चौक इन्स्ट्रक्टर	400-720	1. बरिष्ठ प्रिंसिपल, शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालय, (अध्यक्ष) 2. उप संचालक, संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा नाम निश्चित, (सदस्य) 3. ऑफिसर सेंको, इंजी. संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा नाम निश्चित (सदस्य)	5 वर्ष ऐसे पद के लिये पदोन्नत व्यक्ति का अनुसूची तालिका में विहित किये अनुसार शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी प्रवृत्ता पूरी करनी होगी।	
	2. सामान्य शिक्षा, शिक्षक (पी.व्ही.टी.सी.)	246-460	लेक्चरर (अथवा तकनीकी) एस.टी. एस. तथा कक्षा निकेतन जबलपुर.	350-600			
	3. वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर (एस.टी.एस.)	205-375	मास्टर इन्स्ट्रक्टर एस.टी.एस.	280-480		5 वर्ष	तदर्थ
	4. सिलेब्र असिस्टेंट (एस.टी.एस.)	155-252	वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर (एस.टी.एस.)	205-375		5 वर्ष	तदर्थ
1. टेक्नीकल असिस्टेंट	246-460	असिस्टेंट वर्कशाप फोरसेन.	246-460	260-480	1. प्राध्यापक (प्रोफेसर) संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा (अध्यक्ष.) 2. एक प्रोफेसर प्रिंसिपल, द्वारा नाम निश्चित (सदस्य). 3. वर्कशाप सुपरिस्टेण्डेंट (सदस्य)	3 वर्ष	तदर्थ

ऐसे पद के लिये पदोन्नत व्यक्तियों को अनुसूची तालिका में यथा विहित अनुभव



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	मोटर मैकेनिक स्क्रिब असिस्टेंट मैकेनिक प्लम्बर गैस मैकेनिक	₹.169-300 ₹.155-252 ₹.152-252 ₹.155-252	वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	₹.220-375	तदेव	3 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष	तदेव तदेव तदेव तदेव
1	स्क्रिब असिस्टेंट	₹.155-252	जूनियर इन्स्ट्रक्टर	246-460	1. एक उप संचालक, संचालक 5 वर्ष तकनीकी शिक्षा द्वारा नामजद (अध्यक्ष). 2. एक विभागाध्यक्ष (हेड आफ डिप्टा. प्रिंसीपल द्वारा नामनिर्दिष्ट (सदस्य). 3. एक विभागाध्यक्ष (हेड आफ डिप्टा-टैमेंट) प्रिंसिपल द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य.	एसे पद के लिये पदोन्नत व्यक्ति को अनुसूची सीत में विहित किये अनुसार शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी शर्तों पूरी करनी होगी.	
1	इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग) & प्रिंटिंग मशीन (मैकेनिक) सर्व इन्स्ट्रक्टर रिपयर	₹.220-375 जूनियर ₹.220-375	इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग)	246-460	1. एक उप संचालक संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट (अध्यक्ष). 2. सीनियर हेड आफ डिप्टा प्रिंसीपल द्वारा नामनिर्दिष्ट (सदस्य). 3. एक हेड आफ डिप्टा. सर्वधित विषय (सदस्य).	3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष	तदेव तदेव तदेव
	मैकेनिकल इन्स्ट्रक्टर	₹.195-330	जूनियर इन्स्ट्रक्टर	₹.246-460	तदेव	5 वर्ष	तदेव
	बुक बाइन्डर कम्पोजीटर स्क्रिब असिस्टेंट (प्रिंटिंग)	₹.155-252	इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग)	(5)	तदेव	5 वर्ष	तदेव

शासकीय महिला विविध कला मंदिर, भोपाल द्वारा भरे जाने वाले पद

शासकीय कला निकेतन जबलपुर

12 तथा मीटिंग रूम  
अध्यापिका  
जिस  
की

अनुसूची क्रमांक पांच

संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अधीन विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में स्थानवार पदों का विभाजन दर्शाने वाली अनुसूची

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)	पदों की संख्या इंजीनियरिंग महाविद्यालय						नियुक्ति प्राधिकारी (9)	
		जबलपुर (3)	रायपुर (4)	रीवां (5)	विलासपुर (6)	उज्जैन (7)	गोंय (8)		
1	चीफ़ इन्स्ट्रक्टर .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	संचालक, तकनीकी शिक्षा
2	डिमास्ट्रेटर .. .. .	2	..	..	..	..	..	2	प्रिंसिपल, अभियांत्रिकी महाविद्यालय.
3	असिस्टेंट वर्कशाप फोरमेन .. .. .	1	1	..	..	..	..	2	तदेव
4	ड्राफ्ट्समेन .. .. .	5	6	3	3	3	..	20	तदेव
5	असिस्टेंट मेडीकल आफिसर .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	लोक स्वास्थ्य विभाग से स्थानान्तरण.
6	टेकनीकल असिस्टेंट .. .. .	33	24	8	8	2	..	75	प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग महाविद्यालय.
7	वर्कशाप असिस्टेंट .. .. .	1	1	1	1	..	..	4	तदेव
8	इलेक्ट्रीकल असिस्टेंट .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	तदेव
9	फोटोग्राफिक असिस्टेंट .. .. .	..	1	..	..	..	..	1	तदेव
10	इन्स्ट्रूमेन्ट रिपेयरर/मेकेनिक .. .. .	2	1	3	3	1	..	10	तदेव
11	वायलर अपरेटर .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	तदेव
12	ग्लाम ब्लावर .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	तदेव
13	इन्स्ट्रक्टर/वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर .. .. .	39	28	13	13	10	..	103	तदेव
14	चाइजमेन .. .. .	..	..	2	2	2	..	6	तदेव
15	पी. टी. आई. .. .. .	2	1	1	1	1	..	6	तदेव
16	असिस्टेंट ड्राफ्ट्समेन .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	तदेव
17	सेनेटरी इन्स्पेक्टर .. .. .	1	1	..	..	..	..	2	तदेव
18	मशीनशाप इन्स्ट्रक्टर .. .. .	..	1	1	1	1	..	4	तदेव
19	मेकेनिक ग्रेड-2 .. .. .	..	1	..	..	..	..	1	तदेव
20	टाइम कीपर (रु. 169—300) .. .. .	..	..	1	1	1	..	3	तदेव
21	लेब. असिस्टेंट .. .. .	..	3	..	..	..	..	3	तदेव
22	वायलर अटेंडेन्ट .. .. .	2	2	1	1	1	..	7	तदेव
23	गैस प्लांट ड्राइवर/मेकेनिक .. .. .	1	1	..	..	..	..	2	तदेव
24	हॉजिन ड्राइवर/अटेंडेन्ट .. .. .	4	2	1	1	..	..	8	तदेव
25	रेडियो मेकेनिक .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	तदेव
26	गैस मेकेनिक .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	तदेव
27	व्ही. एफ. टेलीफोन मेकेनिक .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	तदेव
28	स्किल्ड असिस्टेंट/अटेंडेन्ट .. .. .	1	..	..	..	..	..	1	तदेव
29	इलेक्ट्रीशियन .. .. .	6	2	3	3	5	..	11	तदेव
30	ट्रेसर .. .. .	2	1	1	1	2	..	12	तदेव
31	कम्पाउण्डर .. .. .	1	1	1	1	1	..	6	तदेव
32	टाइम कीपर (रु. 155—252) .. .. .	1	1	..	..	..	..	5	लोक स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध
33	प्लम्बर फिटर .. .. .	1	1	1	1	1	..	2	प्रिंसिपल, अभियांत्रिकी महाविद्यालय
34	हेड लेब. अटेंडेन्ट .. .. .	..	1	..	..	..	..	5	तदेव
								1	तदेव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा बाद अनुसार,  
एच. जी. श्रीमराय विशेष सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

शासकीय विविध शिल्प कला मंदिर मध्यप्रदेश  
स्वीकृत पदों की संख्या

क्रमिक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	ब्राइट्समेन	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
2	सर्वे फील्ड असिस्टेंट	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	सर्वे
3	जूनियर इन्सुक्टर	3	3	3	4	4	2	3	2	2	2	2	30	सर्वे
4	मास्टर इन्सुक्टर (टेक्सटाइल)	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	3	सर्वे
5	इस्ट्रुमेंट रियेपर	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	सर्वे
6	वर्कशॉप इन्सुक्टर	13	13	13	20	13	11	13	11	11	11	15	144	सर्वे
7	डिमाल्सुटर	..	..	2	6	..	2	2	..	6	5	..	23	सर्वे
8	ड्रिलर	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	सर्वे
9	पी. टी. आई.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	सर्वे
10	एनीमल हाउस कीपर	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	सर्वे
11	मोटर मैकेनिक	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	सर्वे
12	इन्सुक्टर (टेक्सटाइल)	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	7	सर्वे
13	सेब. असिस्टेंट	13	12	12	12	10	10	12	10	10	10	14	127	सर्वे
14	सिल्वर असिस्टेंट	6	6	6	8	15	6	6	6	6	6	6	77	सर्वे
15	वापार फटेबन्ट	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	सर्वे
16	इलेक्ट्रिशियन	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	15	सर्वे
17	प्लम्बर वीस मैकेनिक	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	सर्वे
..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	..



शासकीय कला निकेतन जबलपुर

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	नियुक्त प्राधिकारी	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	असिस्टेंट लेक्चरर	1	संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश	
2	लेक्चरर (गैर तकनीकी)	10	तद्वैव	
3	असिस्टेंट बक शाप फोरमेन	1	तद्वैव	
4	जूनियर इन्स्ट्रक्टर प्रिंटिंग	7	प्रिंसिपल विविध शिल्प कला मंदिर, जबलपुर.	
5	जूनियर इन्स्ट्रक्टर	12	संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश.	
6	पी. टी. आई.	1	प्रिंसिपल विविध शिल्प कला मंदिर, जबलपुर.	
7	इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग)	3	तद्वैव	
8	सर्वे इन्स्ट्रुमेंट रिपेयरर	1	तद्वैव	
9	प्रिंटिंग मशीन मेकैनिक्	1	तद्वैव	
10	मेकैनिक् इन्स्ट्रक्टर	5	संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश.	
11	स्किल्ड असिस्टेंट	26	प्रिंसिपल विविध शिल्प कला मंदिर, जबलपुर	
	(अ) बकशाप अटेंडेन्ट (एक बायचर अटेंडेन्ट को सम्मिलित कर).	13		
	(ब) जूनियर इन्स्ट्रक्टर	7		
	(स) इन्स्ट्रक्टर (स्मिथी एण्ड फाउण्ड्री)	2		
	(द) स्किल्ड अटेंडेन्ट	4		
12	बुक बाइन्डर	1	तद्वैव	
13	कम्पोजीटर	1	तद्वैव	

शासकीय महिला विविध शिल्पकला मंदिर, भोपाल

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	नियुक्त प्राधिकारी	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जूनियर इन्स्ट्रक्टर	6	प्रिंसिपल महिला विविध शिल्प-कला मंदिर	
2	मेकैनिक् (सीविंग मशीन)	1	तद्वैव	
3	मेकैनिक् (टाईपरायटर)	1	तद्वैव	
4	मैट्रन	1	तद्वैव	
5	स्किल्ड असिस्टेंट	6	तद्वैव	

राज्यपाल के नाम से तथा बादशाहनुसार,  
एच. जी. ओमराव विशेष सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या													शिक्षा				
		रामपुर	जबलपुर	खंडवा	खैरागढ़	टीकमगढ़	पलना	सतना	बहडोल	ग्वालियर	सागर	छिंदवाड़ा	भार	सीहोर		रायगढ़	योग	निम्नलिखित प्राधिकारी (18)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
1	लेक्चरर (गैर तकनीकी)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	78	संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल.
2	मास्टर इन्स्ट्रक्टर	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	प्रिंसिपल शासकीय विविध शिल्प कला संघि.
3	पी. टी. आई.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84	84	संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
4	कॉन्साल्ट इन्स्ट्रक्टर	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	125	125	प्रिंसिपल शासकीय विविध शिल्प कला संघि.
5	स्किल्ड असिस्टेंट	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	संचालक तकनीकी शिक्षा म. प्र., भोपाल.
6	जेनरल एजुकेशन टीचर	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	संचालक तकनीकी शिक्षा म. प्र., भोपाल.
7	श्यापट इन्स्ट्रक्टर	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	24	संचालक तकनीकी शिक्षा म. प्र., भोपाल.

शासकीय उच्चतर माध्यमिक तकनीकी शाखा मध्यप्रदेश

(प्रत्येक संस्था के लिये 5 तथा 2 खंडवा, खैरागढ़, रायगढ़, ग्वालियर के स्टीय कोर्स के लिये)

शासकीय पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र मध्यप्रदेश

जगपुर सीहोर पन्नागर बैतूल भली-होशंगा-राजपुर भार योग

(प्रत्येक संस्था में एक बरिष्ठतम श्यापट इन्स्ट्रक्टर की 30. व. प्रतिमाह विशेष वेतन)

अनुसूची क्रमांक छः

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उन पदों की सूची जिनके लिये शैक्षणिक अर्हता पूरी करना आवश्यक है.

(1)	(2)	(3)
1	चीफ इन्स्ट्रक्टर	शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय.
2	असिस्टेंट वर्कशाप फोरमेन	
3	डाफ्ट्समेन	
4	टेक्नीकल असिस्टेंट	
5	इन्स्ट्रक्टर / वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	
1	जूनियर इन्स्ट्रक्टर	शासकीय विविध शिल्प कला मन्दिर.
2	मास्टर इन्स्ट्रक्टर	
3	वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	
1	लेक्चरर (गैर तकनीकी)	शासकीय कला निकेतन जबलपुर.
2	जूनियर इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग टेक्नालाजी)	
3	जूनियर इन्स्ट्रक्टर (सिविल, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल इन्जीनियरी)	
4	इन्स्ट्रक्टर (प्रिंटिंग)	
1	जूनियर इन्स्ट्रक्टर	शासकीय महिला विविध शिल्प कला मन्दिर.
1	लेक्चरर (गैर तकनीकी)	शासकीय उच्चतर माध्यमिक तकनीकी शाला.
2	मास्टर इन्स्ट्रक्टर	
3	वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 1980

क्र. 12-ए-4-73-एच-8-बीध. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एच-12-4-73-एच-8 बीध, दिनांक 26 अप्रैल 1980 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. जी. ओभराय, विशेष सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. जी. ओभराय, विशेष सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन

No. P-12-4-73-H-8-XX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Education Department, Technical Education, Class III Non-Ministerial service, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Madhya Pradesh Education Department Technical Branch, Class III (Non-Ministerial) Recruitment Rules, 1980.

These rules shall come into force with effect from the date of notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means such authority to whom power of appointment to that service or post has been or may here after be delegated by Government: (as mentioned in Col. 9 of Schedule V);

(b) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(c) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(d) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(e) "Schedule Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them by clauses (24) and (25), respectively of Article 366 of the Constitution and mean such castes and tribes as are notified as such by the State Government from time to time;

(f) "Service" means the Madhya Pradesh Education Department, Technical Branch, Class III (Non-Ministerial) Service;

(g) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.—Without prejudice to the generality of provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the Service.—The service shall consist of the following persons, namely :—

(i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I.

(ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay, etc.—The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the schedule hereto annexed:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be by the following method, viz.,—

(a) By direct recruitment by selection/Examination.

(b) By promotion of members of the service as mentioned in Col. (2) of Schedule IV.

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts (as specified in Schedule-I).

(3) Where the post/posts has to be filled in by promotion as provided under sub-rule (1)(b) but no suitable person having the prescribed qualifications and experience are available, the post/posts may be filled in by direct recruitment in accordance with the provisions in sub-rule (1)(a).

(b) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the appointing authority exigencies of service so require, the appointing authority may, after obtaining prior approval of the Government in the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—All appointment to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8. **Conditions of Eligibility of Direct Recruits.**—In order to be eligible to be selected, a candidate must satisfy the following conditions, viz.—

(1) **Age.**—(a) He must have attained the age of 18 years or otherwise stated (as in Column 3 Schedule III) and not attained the age of 30 years (as in column 4 Schedule III) on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Schedule Caste or Schedule Tribe.

(c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate whether permanent or temporary should not be more than 38 years of age.

(ii) The concession specified in sub-clause (i) shall also be admissible to work-charged staff, contingency paid staff and staff employed in project implementing committees.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell : provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation.**—The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation.**—The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.—

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement; (b) fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short services, Regular Commissioned Officers);
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) Ex-serviceman invalidated out of service;
- (7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (8) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा बाद में जारी जारी किये गये आदेशों के अनुसार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.

एच. जी. श्रीमदाय विशेष सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन

- (v) Persons recruited from-1-1-1963 onwards as whole time Cadet Instructors in the N. C. C. shall on re-employment from the N. C. C. on the expiry of their initial/extended tenure be treated as "retrenched Government employees" for the purpose of employment and shall be allowed to deduct from their actual age the period of service rendered by them in the N. C. C. subject to the condition that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

N.B.—Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in rule 8 (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed.

Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

- (ii) **Educational Qualifications.**—He must possess the educational and experience qualification prescribed for the service, as shown in Schedule III.

9. **Disqualifications.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority to disqualify him for selection/Examination/appointment.

10. **Government decision about the eligibility final.**—The decision of the Selection Committee/Appointing authority as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

11. **Direct recruitment by selection.**—(1) (a) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority. It shall consist of three members. (b) A selection/examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may from time to time determine. (c) Selection of candidates for the service shall be made by the selection committee after interviewing them.

(2) 16 per cent. and 20 per cent. of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively.

(3) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, considered by the appointing authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(5) If a sufficient number of suitable candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised exclusively for these candidates. If even after re-advertisement, any vacancy remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates after seeking approval from the higher authorities and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be during the subsequent occasions of recruitment selection provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed 45 per cent. of the total number of vacancies.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.**—(i) By selection—Selection Committee shall forward to the appointing authority the names and other details of candidates whom they consider suitable duly arranged in order of preference and of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes whom though not qualified by that standard, are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

(ii) By Examination.—The appointing authority shall prepare the list of successful candidates together with the details in order of merit of candidates who have qualified by such standards as he may determine and of candidates belonging to the scheduled castes and scheduled tribes who, though not qualified by that standard, are declared by him to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

(iii) Subject to the provisions of these rules and of the M. P. Civil Service (General Conditions of Service) Rule 1961, candidates will be considered for appointment to available vacancies in the order in which their names appear in the select list.

(iv) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

recruitment by Promotion.—(1) There shall be constituted a committee of the members mentioned in for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

16 per cent. and 20 per cent. of the available vacancies for promotion in such posts in which the percentage for promotion is prescribed 33 1/3 percent or more shall be reserved for such candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and are eligible for promotion in accordance with the provisions of Rule 14.

(4) The procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government in the General Administrative Department, from time to time.

(5) Where the posts/has to be filled in by promotion as provided under sub-rule 1 (b) but no suitable persons having prescribed qualifications and experience are available, the post/posts may be filled in by direct recruitment in accordance with the provisions in sub-rule 1 (a).

14. Conditions of eligibility for Promotion.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who, on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in Column 1 of Schedule IV, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

(2) Subject to sub-rule (1) the field of selection shall ordinarily be limited to 5 times the number of persons to be included in the select list, if the promotion is to be made on the basis of "seniority-cum-merit" and 7 times the number of persons to be included in the select list, if the promotion is to be made on the basis of "merit-cum-seniority". Provided that if the required number of suitable persons are not available in the field, so determined, the field may be enlarged to such extent as may be considered necessary by the committee by mentioning the reason in writing.

(3) For promotion to the posts mentioned in Schedule No. IV & VI, persons shall have to fulfil the qualification and experience where ever prescribed for direct recruitment to such posts in Schedule III.

15. Preparation of list of suitable persons.—(1) The committee shall prepare a list of such persons as may be eligible for promotion under the conditions prescribed in rule 14 above and held by the committee to be suitable for promotion to the posts mentioned in Schedule IV. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 per cent. of the number of persons included in the said select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the [as in column (II) of Schedule IV] Service, at the time of preparation of each select list: Provided that any junior person, who in the opinion of the committee, is of exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of persons senior to him.

Explanation.—A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered for a subsequent selection merely by the fact of his earlier inclusion in the list.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service (Madhya Pradesh Class III Technical Executive—Non—Technical Service—Technical Branch) the Committee shall record the reasons for the proposed supersession.

16. The list prepared in accordance with rules 15 shall then be forwarded by the Departmental promotion committee to the appointing authority along with recommendations and—

(i) The record of all persons included in the list.

(ii) The record of all members of the service [as in Col. (2) Schedule IV] who are proposed to be superseded by the recommendations made in the list.

(iii) The reasons as recorded by the Committee for the proposed supersession of any member of the service [as in Col. (2) Schedule IV].

17. Select List.—(1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the committee along with other documents and records and unless it considers any change necessary, approve the list.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा जादूशानुसार,  
एच. जी. श्रीमराय विशेष सचिव  
मध्य प्रदेश शासन

(2) If the appointing authority considers it necessary to make changes in the list received from the committee, he shall record reasons therefor in writing, and return the list to the Committee for reconsideration.

(3) The list as finally prepared by the committee after considering the views of the appointing authority from the select list for promotion of the members of the service from posts shown in Col. (2) Schedule IV to post Col. (3) Schedule IV.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation;

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority and the Committee may, if it think fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the service from the select list.—(i) Appointment of the persons included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such persons appear in the select list :

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in select list of who is not next in order in the select list, may be appointed to the service if the appointing authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(ii) If in the case of any person included in the Select list to the Service, during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment of to service the appointing authority shall delete his name from the list.

19. Probation.—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation.—Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Government to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. Repeal and Saving.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these rules.

22.A. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided to the Scheduled Castes and Schedule Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. G. Obhrai, Special Secy

### SCHEDULE No. 1

(Vide Rule 4)

#### Madhya Pradesh Education Department Technical Branch Class—III (Non-Ministerial)

Service under the Directorate of Technical Education, M. P.

S. No.	Name of posts included in the service	No. of posts	Classification	Scale of pay (Pande Commission)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chief Instructor	.. ..	1 Non-Ministerial	Rs. 400—720	
2	Demonstrator	.. ..	2 .. ..	Rs. 280—480	



	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Workshop Foreman ..		2	Non-Ministerial	Rs. 280—480	
Draughtsman .. ..		20	"	Rs. 280—480+Rs. 25 Spl. pay.	
5 Assistant Medical Officer .. ..		1	"	Rs. 280—480	
6 Technical Assistant .. ..		75	"	Rs. 246—460	
7 Workshop Assistant .. ..		4	"	Rs. 246—460	
8 Electrical Assistant .. ..		1	"	Rs. 246—460	
9 Photographic Assistant .. ..		1	"	Rs. 246—460	
10 Instrument Repairer/Mechanic .. ..		10	"	Rs. 220—375	
11 Wireless Operator .. ..		1	"	Rs. 220—375	
12 Glass Blower .. ..		1	"	Rs. 220—375	
13 Instructor/W/S Instructor .. ..		103	"	Rs. 220—375	
14 Chargeman .. ..		6	"	Rs. 220—375	
5 Physical Training Instructor .. ..		6	"	Rs. 220—375	
16 Assistant Draughtsman .. ..		1	"	Rs. 205—375	
17 Sanitary Inspector .. ..		2	"	Rs. 195—330	
18 Machinshop Instructor .. ..		4	"	Rs. 195—330	
19 Mechanic Grade-II .. ..		1	"	Rs. 195—330	
20 Time Keeper .. ..		3	"	Rs. 169—300	
21 Laboratory Assistant .. ..		3	"	Rs. 169—300	
22 Boiler Attendant .. ..		7	"	Rs. 155—252	
23 Gas Plant Driver/Mechanic .. ..		2	"	Rs. 155—252	
24 Engine Driver/Attendant .. ..		8	"	Rs. 155—252	
25 Radio Mechanic .. ..		1	"	Rs. 155—252	
26 Gas Mechanic .. ..		1	"	Rs. 155—252	
27 V. F. & Telephone Mechanic .. ..		1	"	Rs. 155—252	
28 Skilled Assistant/Attendant .. ..		11	"	Rs. 155—252	
29 Electrician .. ..		12	"	Rs. 155—252	
30 Tracer .. ..		6	"	Rs. 155—252	
31 Compounder .. ..		5	"	Rs. 155—252	
32 Plumber Fitter .. ..		5	"	Rs. 155—230	
33 Head Lab. Attendant .. ..		1	"	Rs. 155—230	
34 Time Keeper .. ..		2	"	Rs. 155—252	

समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार  
 मध्यप्रदेश के राजपत्र के नाम से तथा बाद खानुमार,  
 एच. जी. श्रीराम विश्व सचिव  
 मध्यप्रदेश शासन

(1) (2) (3) (4) (5)

GOVERNMENT POLYTECHNIC JABALPUR/RAIGARH/NOWGONG/BHOPAL/GWALIOR/JAORA/  
UJJAIN/KHANDWA/SHAHDOL/KHIRSADOL/DURG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Draughtsman	.. ..	23	Non-Ministerial Rs. 280—480 + Rs. 25 Spl. pay.
2	Survey Field Assistant	.. ..	2	" Rs. 280—480
3	Junior Instructor	.. ..	30	" Rs. 246—460
4	Master Instructor (Textile)	.. ..	3	" Rs. 246—460
5	Instrument Repairer	.. ..	11	" Rs. 220—375
6	Workshop Instructor	.. ..	144	" Rs. 220—375
7	Demonstrator	.. ..	23	" Rs. 220—375
8	Driller	.. ..	2	" Rs. 220—375
9	Physical Training Instructor	.. ..	11	" Rs. 220—375
10	Animal House Keeper	.. ..	1	" Rs. 169—300
11	Motor Mechanic	.. ..	2	" Rs. 169—300
12	Instructor (Textile)	.. ..	7	" Rs. 169—300
13	Laboratory Assistant	.. ..	127	" Rs. 169—300
14	Skilled Assistant	.. ..	77	" Rs. 155—252
15	Boiler Attendant	.. ..	11	" Rs. 155—252
16	Engine Attendant	.. ..	11	" Rs. 155—252
17	Electrician	.. ..	15	" Rs. 155—252
18	Plumber Gas Mechanic	.. ..	1	" Rs. 155—252
19	Mechanic	.. ..	2	" Rs. 155—252
20	Photographer	.. ..	1	" Rs. 350—550
21	Studio Assistant	.. ..	1	" Rs. 246—460

GOVERNMENT KALANIKETAN, JABALPUR

1	Assistant Lecturer (Humanities)	.. ..	1	Non-Ministerial Rs. 350—600
2	Lecturer (Non-Technical)	.. ..	10	" Rs. 350—600
3	Asst. Workshop Foreman	.. ..	1	" Rs. 280—480
4	Junior Instructor (Printing)	.. ..	7	" Rs. 246—460
5	Junior Instructor	.. ..	12	" Rs. 246—460
6	Physical Training Instructor	.. ..	1	" Rs. 220—375
7	Instructor (Printing)	.. ..	3	" Rs. 220—375
8	Survey Instrument Repairer	.. ..	1	" Rs. 220—375
9	Printing Machine Mechanic	.. ..	1	" Rs. 220—375
10	Mechanical Instructor	.. ..	5	" Rs. 195—330

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Skilled Assistant .. ..					
(a) W/Shop Attendant (including 1 Boiler Attendant).	13	} 26 Non-Ministerial		Rs. 155—252	
(b) Junior Instructor	7				
(c) Instructor (Smithy & Foundry).	2				
(d) Skilled Attendant	4				
Book Binder .. ..		1	..	Rs. 155—252	
Compositor .. ..		1	..	Rs. 155—252	

**GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC, BHOPAL**

Junior Instructor .. ..	6	Non-Ministerial	..	Rs. 246—460
Mechanic (Sewing Machine) ..	1	Do.		Rs. 220—375
Mechanic (Typewriter) ..	1	Do.		Rs. 220—375
Matron .. ..	1	Do.		Rs. 169—300
Skilled Assistant .. ..	6	Do.		Rs. 155—252

**GOVERNMENT HIGHER SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS**

1 Lecturer (Non-Technical) ..	78	Non-Ministerial	..	Rs. 350—600
Master Instructor .. ..	28	Do.		Rs. 280—480
Physical Training Instructor ..	14	Do.	(i) Rs. 280—480	For Degree in Physical Education.
			(ii) Rs. 220—375	For Diploma in Physical Education.
			(iii) Rs. 195—330	For Certificate Holder
4 Workshop Instructor .. ..	84	Do.		Rs. 205—375
5 Skilled Assistant .. ..	125	Do.		Rs. 155—252

**GOVERNMENT PRE-VOCATIONAL TRAINING CENTRES**

1 Career Master .. ..	6	Non-Ministerial	..	Rs. 350—600
2 General Education Teacher ..	12	Do.		Rs. 246—460
3 Craft Instructor .. ..	24	Do.		Rs. 205—375

One Senior most Craft Instructor at each Institution will get Rs. 30 p.m. special pay.

समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार  
 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 एच. जी. शोभराव विश्वप सचिव  
 मध्यप्रदेश शासन

## SCHEDULE No. II

Name of Department	Name of service	Total No. of duty post	Percentage of the number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment by selection vide Rule 6 (a)	By promotion of substantive/temporary members of the service vide Rule 6 (b)	By transfer of persons from other service vide Rule 6 (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE JABALPUR/RAIPUR/REWA/BILASPUR/UJJAIN						
Education Department Technical Branch.	M. P. Education Class III (Technical & Non-Technical service)					
	1. Chief Instructor	1	..	100%	..	
	2. Demonstrator	2	100%	..	..	
	3. Assistant W/Shop Foreman	2	..	100%	..	
	4. Draughtsman	20	95%	5%	..	
	5. Asstt. Medical Officer	1	..	..	100%	By transfer from Public Health Department.
	6. Technical Assistant	75	25%	75%	..	
	7. Workshop Assistant	4	100%	..	..	
	8. Electrical Assistant	1	100%	..	..	
	9. Photographic Assistant	1	100%	..	..	
	10. Instrument Repairer/Mechanic	10	100%	..	..	
	11. Wireless Operator	1	100%	..	..	
	12. Glass Blower	1	100%	..	..	
	13. Instructor/Workshop Instructor	103	75%	25%	..	
	14. Chargeman	6	100%	..	..	
	15. Physical Trg. Instructor	6	100%	..	..	
	16. Assistant Draughtsman	1	..	100%	..	
	17. Sanitary Inspector	2	100%	..	..	
	18. Machinshop Instructor	4	100%	..	..	
	19. Mechanic Grade II	1	100%	..	..	
	20. Time Keeper (169—300)	3	75%	25%	..	
	21. Lab. Assistant	3	100%	..	..	
	22. Boiler Attendant	..	..	..	..	
	23. Gas Plant Driver/Mechanic	..	..	..	..	

## SCHEDULE No. II

Name of Department	Name of service	Total No. of duty post	Percentage of the number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment by selection vide Rule 6 (a)	By promotion of substantive/temporary members of the service vide Rule 6 (b)	By transfer of persons from other service vide Rule 6 (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE JABALPUR/RAIPUR/REWA/BILASPUR/UJJAIN</b>						
Education Department Technical Branch.	M. P. Education Class III (Technical & Non-Technical service)					
	1. Chief Instructor	1	..	100%	..	
	2. Demonstrator	2	100%	..	..	
	3. Assistant W/Shop Foreman	2	..	100%	..	
	4. Draughtsman	20	95%	5%	..	
	5. Asstt. Medical Officer	1	..	..	100%	By transfer from Public Health Department.
	6. Technical Assistant	75	25%	75%	..	
	7. Workshop Assistant	4	100%	..	..	
	8. Electrical Assistant	1	100%	..	..	
	9. Photographic Assistant	1	100%	..	..	
	10. Instrument Repairer/Mechanic	10	100%	..	..	
	11. Wireless Operator	1	100%	..	..	
	12. Glass Blower	1	100%	..	..	
	13. Instructor/Workshop Instructor	103	75%	25%	..	
	14. Charginan	6	100%	..	..	
	15. Physical Trg. Instructor	6	100%	..	..	
	16. Assistant Draughtsman	1	..	100%	..	
	17. Sanitary Inspector	2	100%	..	..	
	18. Machinshop Instructor	4	100%	..	..	
	19. Mechanic Grade II	1	100%	..	..	
	20. Time Keeper (169-300)	3	75%	25%	..	
	21. Lab. Assistant	3	100%	..	..	
	22. Boiler Attendant	7	100%	..	..	
	23. Gas Plant Driver/Mechanic	2	100%	..	..	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	Engine Driver/Attendant ..	8	100%	..	..	
25.	Radio Mechanic .. ..	1	100%	..	..	
26.	Gas Mechanic .. ..	1	100%	..	..	
27.	V. F. & Telephone Mechanic	1	100%	..	..	
28.	Skilled Assistant/Attendant ..	11	100%	..	..	
29.	Electrician .. ..	12	100%	..	..	
30.	Tracer .. ..	6	100%	..	..	
31.	Compounder ... ..	5	..	..	100%	Public Health Deptt. to be approached for requisition.
32.	Plumber Fitter ... ..	5	100%	..	..	
33.	Head Lab. Attendant .. ..	1	100%	..	..	
34.	Time Keeper (155-252) ... ..	2	100%	..	..	

GOVERNMENT POLYTECHNICS JABALPUR/RAIGARH/NOWGONG/BHOPAL/GWALIOR  
JAORA/UJJAIN/SHAHDOL/KHIRSADOH/DURG/KHANDWA

1.	Draughtsman .. ..	23	100%	..	..	
2.	Survey Field Assistant .. ..	2	100%	..	..	
3.	Junior Instructor .. ..	30	(1 post in each Polytechnic).	(Remaining by promotion).	..	
4.	Master Instructor (Textile) ..	3	..	100%	..	
5.	Instrument Repairer .. ..	11	100%	..	..	
6.	Workshop Instructor .. ..	144	50%	50%	..	
7.	Demonstrator .. ..	23	100%	..	..	
8.	Driller .. ..	2	100%	..	..	
9.	P. T. I. .. ..	11	100%	..	..	
10.	Animal House Keeper .. ..	1	100%	..	..	
11.	Motor Mechanic .. ..	2	100%	..	..	
12.	Instructor (Textile) .. ..	7	100%	..	..	
13.	Laboratory Assistant .. ..	127	100%	..	..	
14.	Skilled Assistant .. ..	77	100%	..	..	
15.	Boiler Attendant .. ..	11	100%	..	..	
16.	Engine Attendant .. ..	11	100%	..	..	
17.	Electrician .. ..	15	100%	..	..	
18.	Plumber Gas Mechanic .. ..	1	100%	..	..	
19.	Mechanic .. ..	2	100%	..	..	
20.	Photographer .. ..	1	100%	..	..	
21.	Studio Assistant ... ..	1	100%	..	..	

मध्य प्रदेश के राजपत्र के नाम से तथा आन्ध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजपत्रों के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।  
पृ. नं. 101, आन्ध्रप्रदेश विधान सभा, आन्ध्रप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**GOVERNMENT KALANIKETAN, JABALPUR**

1. Assistant Lecturer (Humanities)	1	100%	..	..	..	..
2. Lecturer (Non-Technical) ..	10	90%	10%	..	..	..
3. Asstt. Workshop Foreman ..	1	100%	..	..	..	..
4. Junior Instructor (Printing) ..	7	33%	67%	..	..	..
5. Junior Instructor .. ..	12	25%	75%	..	..	..
6. Phy. Training Instructor ..	1	100%	..	..	..	..
7. Instructor (Printing) ..	3	..	100%	..	..	..
8. Survey Instrument Repairer	1	100%	..	..	..	..
9. Printing M/c Mechanic	1	100%	..	..	..	..
10. Mechanical Instructor ..	5	..	100%	..	..	..
11. Skilled Assistant .. ..	26	100%	..	..	..	..
12. Book Binder .. ..	1	100%	..	..	..	..
13. Compositor .. ..	1	100%	..	..	..	..

(Lectures  
manities  
Lecturer  
Technical)  
redesignate.  
Lecturer (No.  
Technical).

**GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC, BHOPAL**

1. Junior Instructor .. ..	6	50%	50%	..	..	..
2. Mechanic (Sewing Machine)	1	100%	..	..	..	..
3. Mechanic (Typewriter) ..	1	100%	..	..	..	..
4. Matron .. ..	1	100%	..	..	..	..
5. Skilled Assistant .. ..	6	100%	..	..	..	..

**GOVT. HIGHER SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS**

1. Lecturer (Non-Technical) ..	78	90%	10%	..	..	..
2. Master Instructor .. ..	28	..	100%	..	..	..
3. Physical Training Instructor ..	14	100%	..	..	..	..
4. Workshop Instructor .. ..	84	50%	50%	..	..	..
5. Skilled Assistant .. ..	125	100%	..	..	..	..

**GOVERNMENT PRE-VOCTIONAL TRAINING CENTRES**

1. Career Master .. ..	6	100%	..	..	..	..
2. General Education Teacher ..	12	100%	..	..	..	..
3. Craft Instructor .. ..	24	100%	..	..	..	..

SCHEDULE III

Name of Department	Name of Service	Lower age limit for direct recruitment	Upper age limit for direct recruitment	Educational qualification	Remarks
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Education Technica l/  
Department Execu-  
tive (Technical cadr e  
Branch)

GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGES

	Demonstrator (Telecommunica- tion).	18	30	At least a II class diploma in Electronics /Telecom./ Radio Engineering of a recog. Board or equivalent with 3 years experience.	
	Asstt. Workshop Foreman.	..	..	For Jabalpur.--At least a II class diploma in Mech. Engg. of a recognised Board or equivalent with 3 years experience or I. T. I. certificate of competency with 7 years experience.  For Raipur.—At least a II class diploma in Metallurgy/Metal- lurgical Engg. of a recognised Board or equivalent thereof with 3 years experience or I. T. I. certificate of competency with 7 years experience.	
3	Draughtsman	..	18	30	At least a II class diploma in Civil/Mech./Elect. Engg. of the M. P. Board of Technical Education or equivalent with 3 years experience or High School/Higher Secondary School with I. T. I. certificate of competency in Draughts- manship with 5 years experi- ence
4	Asstt. Medical Officer.	..	..	..	As prescribed under public Health Department.
5	Technical Assistant	18	30	(A) Technical.—At least a II class diploma in the appropriate branch of Engineering of a recog- nized Board or equivalent thereof or I.T.I. certificate of competency in the appropriate trade with 5 years experience.	
		20	30	(B) Science.—At least a Bachelor's Degree in Science with Chemi- stry/Physics or Geology as one of the subjects.	

सर्वोपर प्रभाव नहीं पड़ेगा.  
सर्वोपर जारी किये गये आदेशों के अनुसार  
सर्वोपर के नाम से तथा ज्ञानवानुसार,  
एच. जी. श्रीधराय विश्व सचिव  
मध्यप्रदेश शासन



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6		Instrument Re- pairer.	18	30	I.T.I. certificate of competency in repairing and servicing precision/Electronic instrument and equipment with at least 3 years experience in the trade.
7		Wireless Operator	18	30	Tenth Class Pass/High School with I.T.I. certificate of competency in Wireless operation or equivalent with 3 years experience. Knowledge of Morse code and operation essential.
8		Workshop Assis- tant.	18	30	At least a II class diploma in the appropriate branch of Engineering of a recognised Board or equivalent thereof or I.T.I. Certificate of competency in the appropriate trade with 5 years experience.
9		Electrical Assis- tant.	18	30	Diploma in Electrical Engineering of a recognised Board or I.T.I. certificate of competency in Electrician/Wireman/Lineman trade with 3 years experience in the trade.
10		Photographic Assistant.	18	30	Tenth Class Pass/High School with experience of 5 years in Photography in a Photo Studio of repute. A certificate of competency of a recognised Institution/Board will be preferred.
11		Instructor / Work- shop Instructor.	18	30	Junior Technical School/Secondary Technical School certificate awarded by the Board of Technical Education, Madhya Pradesh upto 1973 in the appropriate trade with 3 years experience in the trade or Tenth Class Pass/High School with I.T.I. Certificate of competency in the respective trade with 3 years experience in the trade.
12		Glass Blower	18	30	Tenth Class Pass/High School with 3 years experience in Glass Blowing/Glass sealing at low temperature or 10 years practical experience in the concerned branch.
13		Chargeman (Workshop).	18	30	Junior Technical School/Secondary Technical School Certificate awarded by the M. P. Board of Technical Education upto 1973 in the appropriate trade with 3 years experience in the trade or Tenth Class

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pass/High School with I. T. I. Certificate of competency in the respective trade with 3 years experience in the trade.
14	Physical Training Instructor.	20	30		Degree in Physical Education with one year experience or Diploma in Physical Education with 3 years experience.
15	Asstt. Draughtsman	..	..		Tenth Class Pass/High School with I. T. I. Certificate of competency in draughtsmanship or equivalent thereof.
16	Sanitary Inspector	..	..		As prescribed under public Health Department.
17	Machine Shop Instructor.	18	30		Junior Technical School/Secondary Technical School Certificate awarded by the M. P. Board of Technical Education upto 1973 in the appropriate trade or Tenth Class Pass/High School with I.T.I. Certificate of competency in the appropriate trade with 3 years experience.
18	Mechanic Grade II	..	..		Junior Technical School/Secondary Technical School Certificate awarded by the M. P. Board of Technical Education upto 1973 in the appropriate trade or Tenth Class Pass/High School with I.T.I. certificate of competency in the appropriate trade with 3 years experience.
19	Time Keeper	..	30		Higher Secondary School Certificate.
20	Laboratory Asstt.	18	30		Higher Secondary School Certificate with Science subjects.
21	Boiler Attendant	18	30		At least II class Boiler Attendant certificate. Preference will be given to persons who possess High/Higher Secondary School Certificate.
22	Gas Plant Driver/Mechanic.	18	30		At least High School/Higher Secondary School Certificate with I.T.I. Certificate of competency with 3 years experience in Driving, Operation and maintenance of I.C. Engines producer Gas Plants etc. or 10 years practical experience in the concerned branch.

यह पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार  
 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा जयशंकर,  
 एच. बी. श्रीमदाय विशेष सचिव  
 मध्यप्रदेश शासन

586

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23		Engine Driver/ Attendant.	18	30 Atleast High School/Higher Secondary School Certificate with I. T. I. certificate of competency in the trade with 3years experience of operating and maintenance of I. C. Engines or 10 years. practical experience in the concerned branch.
24		Radio Mechanic	18	30 At least High School/Higher Secondary School Certificate with I.T.I. certificate of competency in the trade with 3 years experience in Radio Repairing/servicing.
25		Gas Mechanic ..	18	30 At least High School/Higher Secondary School Certificate with I.T.I. certificate of competency with 3 years experience in preparation of Kerosene Oil Gas and Maintenance of Gas-Plant. Must be able to maintain pipe line for gas and water in laboratories or 10 years practical experience in the concerned branch.
26		V.H.F. & Telephone Mechanic.	18	30 At least High School/Higher Secondary School Certificate with I.T.I. Certificate of competency in the trade with 3 years experience in the trade.
27		Skilled Asstt./ Attendant.	18	30 Junior Technical School/Secondary Technical School Certificate awarded by the M. P. Board of Technical Education upto 1973 or I.T.I. certificate of competency in the appropriate trade. Preference will be given to persons having trade experience.
28		Electrician ..	18	30 Tenth Class Pass/High School with I. T. I. Certificate of competency in the trade with 2 years experience or equivalent or Tenth Class Pass /High School with wireman's licence of the M.P. Electricity Licencing Board.
29		Compounder ..	..	.. As prescribed under Public Health Department.
30		Tracer ..	18	30 Tenth Class Pass/High School with I.T.I. Certificate of competency in draughtsmanship or equivalent thereof.
31		Time Keeper ..	18	30 Higher Secondary School Certificate.

नाम त  
दिने उर  
दुप सत्र

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Plumber Fitter ..	18	30	I.T.I. Certificate of competency in the trade with one year's experience.
	Head Lab. Attendant.	18	30	High School Certificate with Science subjects.

## GOVERNMENT POLYTECHNICS

	Draughtsman ..	18	30	At least a IInd class diploma in Civil/Mech./Elect. Engineering of the M. P. Board of Technical Education or equivalent with 3 years experience or High School/Higher Secondary School with I.T.I. certificate of competency in Draughtsmanship with 5 years experience.
	Survey Field Assistant.	18	30	At least a IInd Class diploma in civil Engg. or Mining and Mine surveying or I.T.I. certificate of competency in surveying or with 2 years experience. (Preference will be given for mine surveying experience).
	Junior Instructor	18	30	At least IInd Class diploma in the appropriate branch of engineering of a recognised Board or equivalent thereof or High School/Higher Secondary School with I.T.I. certificate of competency in the respective trade with 3 years experience in the trade.
	Master Instructor Textile.	..	..	At least IInd class diploma in Textile Technology of a recognised Board or equivalent thereof or High School/Higher Secondary School with I.T.I. certificate of competency in spinning/weaving/dyeing etc. with 3 years experience.
	Instrument Repairer.	18	30	I.T.I. Certificate of competency in repairing and servicing Precision/Electronic Instrument and equipment with atleast 3 years experience in the trade.
	Workshop Instructor	18	30	Junior Technical School/Secondary Technical School Certificate awarded by the Board of Technical Education Madhya Pradesh upto 1973 in the appropriate trade with 3 years experience in the trade or Tenth Class pass/High School with I.T.I. certificate of competency in the respective trade with 3 years experience in the trade.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशों के क्रमसार  
 एच. जी. श्रीमराय विशेष सचिव  
 मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		Demonstrator ..	18	30 <i>Technical (Mining)</i> : At least IInd class diploma in the concerned branch of Engineering. Experienced candidates will be preferred. <i>Science</i> : At least a Bachelor's degree in Science with physics and Chemistry/or Geology.
8		Driller .. ..	18	30 Same as prescribed under the Directorate of Tube Wells.
9		Physical Training Instructor.	20	30 Degree in Physical Education with 1 year experience or Diploma in Physical Education with 3 years experience.
10		Animal House Keeper.	18	30 Higher Secondary School Certificate with Biology.
11		Motor Mechanic	18	30 I.T.I. Certificate of competency in I.C. Engines/Auto Mechanic trade with one year's experience or 10 years practical experience in the concerned branch.
12		Instructor (Textile)	18	30 High School/Higher Secondary School with I.T.I. Certificate of competency in relevant trade with one year's experience or equivalent thereof.
13		Laboratory Asstt.	18	30 Higher Secondary School Certificate with Science subjects.
14		Skilled Assistant	18	30 Junior Technical School/Secondary Technical School Certificate of Board of Technical Education upto 1973 or I. T. I. certificate of competency in the respective trade. Preference will be given to those having experience.
15		Boiler Attendant ..	18	30 At least IInd Class Boiler Attendant certificate. Preference will be given to persons who possess High/Higher Secondary School Certificate.
16		Engine Attendant ..	18	30 At least high School/higher Secondary School Certificate with I. T. I. Certificate of competency in the trade with 3 years experience of operating and maintenance of I. C. Engines. or 10 years practical experience in the concerned branch.
17		Electrician ..	18	30 Tenth Class Pass/High School with I. T. I. Certificate of competency in the trade with 2 years experience equivalent or Tenth Class Pass/High School with wireman's licence of the M. P. Electricity Licencing Board.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Plumber/ Gas Mechanic	18	30	Atleast High School/Higher Secondary School Certificate With I. T. I. Certificate of compe tency with 3 years experience in preparation of Kerosene Oil Gas and Maintenance of Gas Plant. Mustbe able to maintain Pipeline for gas and water in laboratories or 10 years practical experience in the concerned branch.	
19	Mechanic	18	30	Atleast Tenth Class Pass/High School with I. T. I. certificate of competency in the desired trade with 1 year experience in the trade or 10 years practical experience in the concerned branch.	
20	Photographer	18	30	Diploma in fine arts from a recognised Board or equivalent thereof with experience in photography for 3 years. Desirable. Experience of outdoor and indoor photograpy work.	
21	Studio Assistant	18	30	Three years diploma in Archi tecture from a recognised board or equivalent thereof or I. T. I. certificate in civil Draughtsman with 3 years practical experience in the trade.	

GOVERNMENT KALANIKETAN, JABALPUR

1	Assistant Lecturer (Humanities)	20	30	At least a IInd Class post graduate degree in the concerned subject.
2	Lecturer (Non- Technical)	20	30	At least a IInd class post graduate degree in the concerned subject.
3	Asstt. Workshop Foreman	18	30	At least a Second Class Diploma in Mech. Engg. from a recognised Board or equivalent with 1 year experience.
4	Junior Instructor (Printing Technology)	18	30	(A) Printing.—Atleast IInd class diploma in Printing Technology with specialisation in letter press Printing/Lithography of a recognised Board or equivalent thereof with 1 year teaching/practical experience of a press of repute or I. T. I. Certificate of compe ncy in the trade with 3 years experience. (B) Planeta Machine.— Tenth class pass/High School with 5 years experience as operator of offset/Lithography machines.
5	Junior Instructor Civil/Mechanical/ Electrical Engg.	18	30	At least IInd class diploma in the appropriate branch of Engin- eering of a recognised Board or equivalent there of or High- School with I. T. I. Certificate in respective trade with 3 years experience.
6	Physical Training.. Instructor	20	30	Degree in Physical Education with 1 year experience or diploma in Physical Ed ucation with 3 years experience.

सर्वी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशों के क्रमवार

एच. जी. मोहराम विवेक सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7		Instructor (Printing)	18	30	Tenth Class Pass/High School with I. T. I. Certificate of Competency in the trade or equivalent with 3 years Experience.
8		Survey Instrument Repairer,	18	30	I. T. I. Certificate of competency in repairing and servicing Precision/Electronic instrument and equipment with atleast 3 years experience in the trade.
9		Printing Machine Mechanic.	18	30	Tenth Class Pass/High School with I. T. I. Certificate of competency in the trade or equivalent thereof or 10 years practical experience in the concerned branch.
10		Mechanical Instructor	18	30	Tenth Class Pass/High School with I. T. I. Certificate of competency in the concerned trade or equivalent thereof.
11		Skilled Assistant/	18	30	Junior Technical School/Secondary Technical School Certificate of Board of Technical Education, Madhya Pradesh upto 1973 or I. T. I. certificate of competency in the concerned trade. Preference will be given for experience.
12		Boiler Attendant	18	30	At least IInd class Boiler Attendant certificate. Preference will be given to persons who possess High/Higher Secondary school Certificate.
13		Book Binder	18	30	Tenth Class Pass/ High School or equivalent with 3 years experience as Book Binder.
14		Compositor	18	30	Tenth Class Pass/High school with I. T. I. Certificate of competency in the composition trade or equivalent thereof with 1 Year's experience in the trade.

### GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC, BHOPAL

#### Junior Instructor.—

- (i) Costume Design and Dress Making. 20 30 Bachelor's Degree in Home Science with Costume Design and Dress making or diploma in Costume Design and dress making of a recognised Board.
- (ii) Architectural Draughtsmanship. Diploma in Architectural Draughtsmanship or Diploma in Architecture of a recognised Board or equivalent thereof.

en  
ce  
en

ndant  
will be  
s High/  
d

r Seco  
th I. T.  
cy  
experi  
mainte  
or 10  
in

n Sch  
of cor  
years:  
Ten  
Twich  
M. P.  
L.

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(iii) Medical Lab. Technology.					Diploma in the Medical Lab. Technology of a recognised Board or equivalent thereof.
	(iv) Secretarial Practice and Stenography.					Diploma in the Secretarial Practice and Stenography of a recognised Board or equivalent thereof with 2 years experience.
2	Mechanic (Sewing Machine)	18	30	L. T. I. Certificate of Competency in the trade of equivalent thereof with 3 years experience in the Sewing machine repairing or 10 years practical experience in the concerned branch.		
3	Mechanic (Typewriter)	18	30	L. T. I. Certificate of competency in fitter trade with 5 years experience in the repairing of typewriter or 10 years practical experience in the concerned branch.		
4	Matron ..	18	30	Tenth Class pass/High School with experience.		
5	Skilled Assistant	18	30	Junior Technical School/Secondary Technical School certificate awarded by the Board of Technical Education Madhya Pradesh upto 1973 or L. T. I. Certificate of competency in the concerned trade. preference will be given for experience.		

GOVERNMENT SECONDARY TECHNICAL SCHOOL  
MADHYA PRADESH

1	Lecturer (TNon-Technical)	20	30	At least IIInd class post graduate degree in the concerned subject.
2	Master Instructor	..	..	IIInd class Diploma in Electrical/ Mechanical Engg. with 3 years experience.

OR

Tenth class pass/ High School with L. T. I. Certificate of competency in any Electrical/ mechanical trade or Junior Technical School/ Secondary Technical School certificate awarded by the Board of Technical Education up to 1973 in the concerned trade or equivalent thereof with 5 years experience.

3	Physical Training Instructor.—			
	(i) Rs. 280—480,	20	30	Degree in Physical Education with 1 year experience.
	(ii) Rs. 220—375	18	30	Diploma in Physical Education with 3 years experience.
	(iii) Rs. 195—330	18	30	For others.

मध्यप्रदेश के राजपत्र के नाम से वादशानुसार,  
एच. जी. शर्मा विवेक सचिव  
मध्यप्रदेश शासन



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		Workshop Instructor	18	30	Junior Technical School/Secondary Technical School certificate awarded by the Board of Technical Education Madhya Pradesh up to 1973 in the appropriate trade with 3 years experience in the trade or Tenth Class Pass/ High School with I. T. I. certificate of competency in the respective trade with 3 years experience in the trade.	
5		Skilled Assistant	18	30	Junior Technical School/Secondary Technical School Certificate awarded by the Board of Technical Education up to 1973 or Tenth Class Pass/High School with I. T. I. certificate of competency in the respective trade. Preference will be given to those having experience.	

### GOVERNMENT PRE-VOCATIONAL TRAINING CENTRES

1		Career Master	20	30	Bachelor's Degree in Education or Bachelors degree in Arts with Psychology as a subject or Bachelors degree in Agriculture or equivalent thereof with 3 years teaching experience and command on Hindi-Language. Preference will be given for B. Sc. (Agriculture Degree)	
2		General Education Teacher	20	30	B. A. / B. Sc. with B. T./B.ED. teaching experience preferred.	
3		Craft Instructor	18	30	I. T. I. certificate of competency in the concerned trade with Three Years work experience and ability to teach in Hindi.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
POSTS TO BE FILLED IN BY GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JABALPUR/RAIPUR/REWA/BILASPUR/UJJAIN							
1. Tech. Asstt.	Rs. 246—460	Asstt. W/Shop Foreman.	Rs. 280—480	1. Professor nominated by D. T. E. (Chairman).	5 years	The promotee will have to fulfill the educational and experience qualification as prescribed in Schedule III for such post.	
2. Asstt. Draughtsman.	Rs. 205—375	Draughtsman	Rs. 280—480 Rs. 25 Spl. pay.	1. Professor nominated by D. T. E. (Chairman). 2. One Professor Nominated by Principal (Member). 3. Workshop Superintendent (Member).	5 years	Do.	
3. Instructor/Workshop Instructor/Instrument Repairer/Wireless Operator/Gas Blower/Chargeman.	Rs. 220—75	Tech. Assitant	Rs. 246—460	3. Workshop Superintendent (Member).	5 years	Do.	
4. M/c. shop Instr. Mech. Gr. II	Rs. 195—330 Rs. 195—330				4 years 4 years	Do. Do.	
Gas Plant Driver/Engine Driver/Attendant.	Rs. 155—252 Rs. 155—252				4 years 4 years	Do. Do.	
Radio Mech. Gas Mech. V. F. & Telephone Mechanic.	Rs. 155—252 Rs. 155—252 Rs. 155—252	Instructor/Workshop Instructor	Rs. 220—375	Do.	4 years 4 years	Do. Do.	
Skilled Asstt./Attendant Electrician	Rs. 155—252 Rs. 155—252				4 years 4 years	Do. Do.	

6. Time Ker .. Rs. 155-252. Time Keeper .. 3 years Do.

POSTS FILLED BY GOVERNMENT POLYTECHNIC/JABALPUR/RAIGARH/  
DURG/KHIRSADOH/KHANDWA/UJAIN/ GWALIOR/SHAHNOL/NOWGONG/BHOPAL/JAORA

1. Instructor (Textile) .. Rs. 169-300 Master Instructor (Textile) .. Rs. 246-460
1. One Head of the Deptt. 3 years .. The promotee will have to fulfill the educational and experience qualification as prescribed in Schedule III for such post.
2. One Head of the Deptt. nominated by Principal (Member).
3. W/Shop suptd. of the Polytechnic concerned (Member).
2. Workshop Instructor .. Rs. 220-375 Jr. Instructor .. Rs. 246-460 3 years Do.
3. Motor Mech. .. Rs. 169-300 }  
Skilled Asstt. .. Rs. 155-252 }  
Mechanic .. Rs. 155-252 }  
Plumber Gas. .. Rs. 155-252 }  
Mechanic.
- Workshop Instructor .. Rs. 220-375 Do. 3 years Do.  
3 years Do.  
4 years Do.  
4 years Do.

POSTS FILLED BY GOVERNMENT WOMENS POLYTECHNIC, BHOPAL

1. Skilled Asstt. .. Rs. 155-252 Jr. Instructor .. Rs. 246-460
1. One Deputy Director 5 years .. Do.  
nominated by D. T. E. (Chairman).
2. One Head of the Deptt. Nominated by Principal (Member).
3. One Head of Deptt. nominated by Principal (Member).

तथा आदेशानुसार,  
एच. जी. श्रीमराय विशेष सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

व्यं  
शिक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
GOVERNMENT KALANIKETAN, JABALPUR							
1. Instructor (Printing)	Rs. 220—375			1. Deputy Director nominated by D. T. E. (Chairman)	3 years		The Promotee will have to fulfill the educational and experience qualification prescribed in Schedule III for such post.
Printing M/c Mechanic.	Rs. 220—357		Jr. Instructor (Printing)	Rs. 246—460	2. Sr. Head of the Deptt. nominated by Principal, Polytechnic, Jabalpur (Member).	3 years	
Survey Instrument Repairer.	Rs. 220—375				3. One Head of Deptt. of the subject concerned (Member).	3 years	
2. Mechanical Instructor.	Rs. 195—330		Jr. Instructor	Rs. 246—460		5 years	Do.
3. Book Binder/Composer/Skilled Asst. (Printing).	Rs. 155—252		Instructor (Printing)	Rs. 220—375		5 years	Do.
4. Skilled Asst.	Rs. 155—252		Mechanical Instructor.	Rs. 195—330		3 years	

## SCHEDULE V

## SCHEDULE SHOWING THE INSTITUTIONWISE BREAKUP OF THE POST SANCTIONED IN VARIOUS TECHNICAL INSTITUTIONS UNDER DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, M. P., BHOPAL

S. No.	Name of posts included in the service	Number of posts in Engineering Colleges					Total	Appointin authority
		Jabal-pur	Raipur	Rewa	Bilas-pur	Ujjain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Chief Instructor ..	1	..	..	..	..	1	Director of Technical Education.
2.	Demonstrator ..	2	..	..	..	..	2	Principal, Engineering College.
3.	Asstt. W/Shop Foreman..	1	1	..	..	..	2	—Do—
4.	Draughtsman ..	5	6	3	3	3	20	—Do—
5.	Asstt. Medical Officer ..	1	..	..	..	..	1	By transfer from P.H. Deptt.
6.	Technical Assistant ..	33	24	8	8	2	75	Principal, Engineering College.
7.	Workshop Assistant ..	1	1	1	1	..	4	—Do—
8.	Electrical Assistant ..	1	..	..	..	..	1	—Do—
9.	Photographic Assistant ..	..	1	..	..	..	1	—Do—
10.	Instrument Repairer/Mechanic	2	1	3	3	1	10	—Do—
11.	Wireless Operator ..	1	..	..	..	..	1	—Do—
12.	Glass Blower ..	1	..	..	..	..	1	—Do—
13.	Instructor/Workshop Instructor	39	28	13	13	10	103	—Do—
14.	Chargeman ..	..	..	2	2	2	6	—Do—
15.	P. T. I. ..	2	1	1	1	1	6	—Do—
16.	Assistant Draughtsman ..	1	..	..	..	..	1	—Do—
17.	Sanitary Inspector ..	1	1	..	..	..	2	—Do—
18.	Machine Shop Instructor	..	1	1	1	1	4	—Do—
19.	Mechanic Grade II ..	..	1	..	..	..	1	—Do—
20.	Time Keeper (169—300) ..	..	..	1	1	1	3	—Do—
21.	Laboratory Assistant ..	..	3	..	..	..	3	—Do—
22.	Boiler Attendant ..	2	2	1	1	1	7	—Do—
23.	Gas Plant Driver/Mechanic	1	1	..	..	..	2	—Do—
24.	Engine Driver/Attendant	4	2	1	1	..	8	—Do—

मध्यप्रदेश के नाम से तथा आदित्यनगर,  
एच. जी. श्रीमराय विशेष सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25.	Radio Mechanic	1	..	..	..	..	1	Principal, Engineering College.
26.	Gas Mechanic	1	..	..	..	..	1	—Do—
27.	V. F. & Telephone Mechanic	1	..	..	..	..	11	—Do—
28.	Skilled Assistant/Attendant	..	..	3	3	5	12	—Do—
29.	Electrician	6	2	1	2	1	6	—Do—
30.	Tracer	2	1	1	1	1	5	Public Health Deptt. to be approached for requisition.
31.	Compounder	1	1	1	1	1	2	Principal, Engineering College.
32.	Time Keeper (155—252)	1	1	..	..	..	5	—Do—
33.	Plumber Fitter	1	1	1	1	1	1	—Do—
34.	Head Laboratory Attendant	..	1	..	..	..	1	—Do—

Number of Posts Sanctioned

Serial Name of posts included in the service Jabalpur Raigarh Nowgong Bhopal Gwalior Jaora Ujjain Khandwa Shahdol Khirisdoh Durg Total Appointing authority

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Draughtsman ..	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	23	Principal Polytechnic, Do.	
2	Survey Field Asstt.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	Do.	
3	Junior Instructor	3	3	3	4	4	2	3	2	2	2	2	30	Do.	
4	Master Instructor (Textile)	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	3	Do.	
5	Instrument Repairer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Do.	
6	Workshop Instructor	13	13	13	20	13	11	13	11	11	11	15	144	Do.	
7	Demonstrator ..	..	..	2	6	..	2	2	..	6	5	..	23	Do.	
8	Driller ..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	Do.	
9	P. T. I. ..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Do.	
10	Animal House Keeper	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	Do.	
11	Motor Mechanic	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	Do.	
12	Instructor (Textile)	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	7	Do.	
13	Lab. Assistant ..	13	12	12	12	12	10	12	10	10	10	14	127	Do.	
14	Skilled Assistant	6	6	6	8	15	6	6	6	6	6	6	77	Do.	
15	Boiler Attendant	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	Do.	
16	Electrician ..	3	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	13	Do.	
17	Plumber Gas Mechanic.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	Do.	
18	Mechanic	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	Do.	
19	Engine Attendant	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Do.	
20	Photographer	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	Do.	
21	Studio Assistant	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	Do.	

राज्यपाल के नाम से तथा बाद शानुसार,  
एन. बी. शोभराय विशेष सचिव  
मध्यप्रदेश शासन



## GOVERNMENT KALANIKETAN, JABALPUR

Serial No.	Name of posts included in the service	No. of posts	Appointing authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Asstt. Lecturer (Humanities)	1	Director of Technical Education, M. P.	
2	Lecturer (Non-Technical)	10	Do.	
3	Workshop Foreman	1	Do.	
4	Junior Instructor (Printing)	7	Principal, Polytechnic, Jabalpur	
5	Junior Instructor	12	Director of Technical Education, M. P.	
6	P. T. I.	1	Principal, Polytechnic, Jabalpur	
7	Instructor (Printing)	3	Do.	
8	Survey Instrument Repairer	1	Do.	
9	Printing Machine Mechanic	1	Do.	
10	Mechanical Instructor	5	Director of Technical Education, M. P.	
11	Skilled Assistant	26	Principal, Polytechnic, Jabalpur	
	(a) Workshop Attendant (including 1 Boiler Attendant).	13		
	(b) Junior Instructor	7		
	(c) Instructor (Smithy & Foundry)	2		
	(d) Skilled Attendant	4		
12	Book Binder	1	Principal, Polytechnic, Jabalpur	
13	Compositor	1	Do.	

## GOVERNMENT WOMENS POLYTECHNIC, BHOPAL

1	Junior Instructor	6	Principal, Women's Polytechnic	
2	Mechanic (Sewing Machine)	1	Do.	
3	Mechanic (Typewriter)	1	Do.	
4	Matron	1	Do.	
5	Skilled Asstt.	6	Do.	

ded in

		Number of Post										Appointing Authority					
Rai- Jabal- Khan-Khai- Tikam- pur pur dwa ragarh garh	PannaSatna Shah- Gwal- Sagar Chhi- Dhar Sehore Rai- garh	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

GOVERNMENT HIGHER SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS, (M. P.)

..	..	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	78	Director of Technical Education M.P., Bhopal.
..	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	Do.
..	..	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	14	Principal, Govt. Polytechnic.
..	..	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	84	Director of Technical Education, M. P., Bhopal.
..	..	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	9	125	Principal, Govt. Polytechnic.	

GOVERNMENT PRE-VOCATIONAL TRAINING CENTRES M. P.

Jashpurnagar Sehore Panagar Betul Alirajpur Hoshangabad

..	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Director of Technical Edn., M. P. Bhopal.
..	..	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	Do
..	..	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	Do.

(One Seniormost Craft Instructor at each Institution will get Rs. 30 p.m. special pay).

(4) Officers (Military and Civil) and Regular Commissioned Officers);

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,

(8) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

ment;

services;

## SCHEDULE VI

Posts to be filled by Promotion for which Educational Qualification is essential

ks

Serial No. (1)	Name of posts (2)	Institution (3)
<b>GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE</b>		
1	Chief Instructor	
2	Assistant Workshop Foreman	
3	Draughtsman	
4	Technical Assistant	
5	Instructor/Workshop Instructor	
<b>GOVERNMENT POLYTECHNIC</b>		
1	Junior Instructor	
2	Master Instructor (Textile)	
3	Workshop Instructor	
<b>GOVERNMENT KALANIKETAN, JABALPUR</b>		
1	Lecturer (Non-Technical)	
2	Junior Instructor (Printing Technology)	
3	Junior Instructor (Civil, Electrical & Mech. Engg.)	
4	Instructor (Printing)	
<b>GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC</b>		
1	Junior Instructor	
<b>GOVERNMENT SECONDARY TECHNICAL SCHOOL</b>		
1	Lecturer (Non-Technical)	
2	Master Instructor	
3	Workshop Instructor	